खण्ड-148, अंक-1
गुरूवार, 21 माघ, शक संवत् 1876
(10 फरवरी, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 148 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश एन्कम्बर्ड (संशोधन) विधेयक, १९५३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१५
उत्तर प्रदेश नरर्सेज, मिडवाइब्ज, असिस्टेंट मिडवाइब्ज, हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१५
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१५
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	१६
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	१६
लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अध्यादेश, १९५४ (प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी)	१६
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ (प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी)	१६
उत्तर प्रदेश एसेंशियल सप्लाईज (कंटीन्यूएंस आफ पावर्स) अध्यादेश, १९५५ (प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी)	१६
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ (प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी) ..	१६
उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) अध्यादेश, १९५५ (प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी)	१७
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधन (मेज पर रखे गये)	१७
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन (मेज पर रखे गये)	
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (कठिनाइयों को दूर करने की (प्रथम) आज्ञा, १९५५ (मेज पर रखी गयी)	१७
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (विधान परिषद् द्वारा संशोधित विधेयक मेज पर रखा गया)	१७
हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ (विधान परिषद् द्वारा संशोधित विधेयक मेज पर रखा गया)	१७–१८
उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया)	१८
यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४ (विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया)	१८
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली तथा यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स में कृत संशोधनों पर विवादार्थ समय निर्धारण की मांग	१८
असरकारी कार्य के लिये निर्धारित दिनों में सरकारी कार्य करने के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	१८–१९
आगामी कार्यक्रम के संबंध में सूचना	२०
नत्थियां	२१–९०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १० फरवरी, १९५५

विधान परिषद् के श्री सभापति तथा विधान सभा के श्री अध्यक्ष के साथ श्री राज्यपाल विधान मंडल के समक्ष अभिभाषणार्थ दिन के ११ बजे सभा मंडप, लखनऊ में पधारे।

विधान सभा के निम्नलिखित ३५५ सदस्य उपस्थित थे

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयबर सिंह, श्री
अजीज इमाम श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली हजीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरप्रसाद पांडेय, श्री
गुरप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायणसिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुसमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्द सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम, सिंह श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहाय, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामबचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विश्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुज्राम, श्री
सुरेंद्रदत्त पाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री

सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोबिन्द पंत, श्री
हरगोबिन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को श्री राज्यपाल का अभिभाषण

विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल ने इस प्रकार अभिभाषण किया--

विधान परिषद् के अध्यक्ष, विधान सभा के स्पीकर महोदय तथा दोनों सदनों के सदस्यगण,

एक वर्ष पूर्व मुझे आप को सम्बोधन करने का अवसर मिला था। मुझे खुशी है कि आज फिर मुझे आप के सम्मुख सम्बोधन करने का अवसर मिला है।

हम एक साल बाद मिल रहे हैं। इस बीच में दुनियां में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं। युद्ध का भय आज भी विश्व को परेशान कर रहा है। इस कठिन समय में हमारे गणराज्य ने तरुण होते हुये भी दुनिया के राष्ट्रों में ऊंचा स्थान प्राप्त किया है।

अनेक मित्रराष्ट्रों के राष्ट्रपति हमारे देश और हमारे प्रदेश में भी आये और हम यह गर्व भी कर सकते हैं कि हमारे अप्रतिम नेता, प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू के विश्वशांति के परम उद्देश्य को कुछ सफलता मिली है।

हमारे राज्य में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। मुख्य मंत्री पं० गोविन्द बल्लभ पंत ने पिछले कई और कठिन वर्षों में बड़ी ही योग्यतापूर्वक इस प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। अब वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री होकर चले गये हैं। उनके जैसे राजनेता प्रशासक, विधान सभासद और नर-वीर इस देश में थोड़े से ही हैं। उनके कुशल नेतृत्व और पथ प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश, राज्य शासकीय क्षेत्र में जल्दी से आगे बढ़ सका।

मेरे नये मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी उस विशिष्ट राजनेता और प्रशासक के योग्य उत्तराधिकारी है। शिक्षाशास्त्री, विद्याभ्यासी, लोकसेवक और राष्ट्रभक्त के रूप में डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने बहुत वर्षों से हमारे देश की सेवा की है। मुझे विश्वास है कि उनकी शासन शक्ति और विवेक-बुद्धि से उत्तर प्रदेश राज्य उनके नेतृत्व में तेजी के साथ कार्य-दक्षता, समृद्धि और लोकमंगल प्राप्त करेगा। जिस मंत्रिमंडल के वे अग्रसर है उसमें अनुभवी लोक-सेवी हैं। मुझे आशा है कि यह मंत्रिमंडल सदन के सभी दलों का सहयोग और शुभेच्छा पहले की तरह प्राप्त करता रहेगा।

पिछले बारह महीने से यह राज्य सभी दिशाओं में सतत् और शीघ्र प्रगति करता रहा है। इस समय इस प्रगति के विस्तार का निदर्शन कराने में आप लोगों का बहुमूल्य समय नहीं लूंगा। मुझे विश्वास है कि इस सत्र में प्रगति का सारा विस्तार योग्य अवसर पर मंत्रिमंडल की ओर से आप के सम्मुख रक्खा जायेगा।

अब मैं इस अवधि की कुछ बड़ी बड़ी सिद्धियों की ओर संकेत करके ही संतोष करूंगा।

[श्री राज्यपाल]

इस राज्य की और विशेषतः सारे देश की, सफलता तो यह है कि हमने खाद्य-पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश पहले से ही अधिक मात्रा में दूसरे राज्यों को खाद्यान्न देता रहा है। इस स्थिति का कारण यह है कि कृषि विभाग की विभिन्न उत्पादन योजनायें सफल हो चुकी हैं और दूसरे राज्य भर में सिंचाई का कार्यक्रम तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है।

मुझे गर्व होता है और जरूर ही आप को भी होगा कि पंचवर्षीय योजना की अवधि के पहले तीन वर्षों में सारे भारतवर्ष में जो सिंचाई की सहूलियत दी गयी है उसमें उत्तर प्रदेश ने आधा हिस्सा दिया है। हमारे प्रदेश में जितने जल-खाते बनाये गये हैं और जितने नलकूपों का जाल बिछाया गया है उसका श्रेय हमारे इंजीनियरों की मेहनत और कार्यदक्षता को है। उतना ही श्रेय सरकार को भी है। क्योंकि उसने खाद्यान्न उत्पादन और जनता के जीवन स्तर को उठाने के ध्येय को प्रथम स्थान दिया है।

पशुधन के विकास और अनाज को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिये जो कार्य हुआ है उसकी तारीफ मैं करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि सामुदायिक विकास की भावना का जन्म सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही हुआ। तब से आज तक विकास केंद्रों और एन० ई० एस० (N. E. S.) खंडों में जो प्रभावपूर्ण काम हुआ है उसकी सराहना तो सामुदायिक योजना प्रशासन (कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन) ने भी की है।

वन-महोत्सव और श्रमदान के क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। इसकी सफलता से आप सभी परिचित हैं। वन सम्पत्ति की वृद्धि और रक्षा हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिये बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में हमने संतोषजनक प्रगति की है। भूमि रक्षा कार्य-क्रम को पूरा करने के लिये अब तक काफी काम हो चुका है, परन्तु बाढ़ और कटाव से होने वाली विस्तृत हानि को यदि हम रोकना चाहते हैं तो बहुत कुछ काम अभी करना बाकी है। खासकर घाघरा, गंगा, राप्ती और गोमती नदियों पर बाढ़ निरोध और नियमन की महत्वाकांक्षी योजना को सरकार ने अपने हाथ में लिया है।

मेरे लिये बड़े संतोष की बात है और दोनों सदनों के सदस्यों तथा सारे देश को जो काशी के लिये प्रेम रखता है, यह संतोष का विषय है कि मेरी सरकार ने बनारस के सुन्दर घाटों का पुर्ननिमाण करने तथा उनको बाढ़ से बचाने के लिये योजना बनायी है। आप जानते हैं कि यह कार्य प्रारम्भ हो गया है और मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इस विषय पर विशेष ध्यान देगी।

साहस पूर्ण प्रयोगों को सोचने और सफल बनाने का भी श्रेय हमारे राज्य को प्राप्त है। उसका एक दृष्टान्त यह है कि सिंचाई के कामों में बंदियों को लगाने की योजना को अभूतपूर्व सफलता मिली है। आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि संसार के एक अग्रगण्य दंडशास्त्र विशेषज्ञ, जिन्होंने एशिया के समस्त राष्ट्रों का भ्रमण किया है, उन्होंने अपना मत प्रकट किया है कि उत्तर प्रदेश की कारावास व्यवस्था सबसे सुयोग्य और अर्वाचीन पद्धति के अनुकूल है।

माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा को पुर्नसंगठित करने का जो कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हमने किया है वह अच्छी रीति से प्रगति कर रहा है। यह प्रयोग कैसे सफलता प्राप्त करता है, यह सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं। इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालयों के संशोधक विधेयकों के अधिनियम हो जाने के बाद मेरी सरकार का यह इरादा है कि वह काशी संस्कृत विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिये आगे कदम बढ़ावे।

हमारी सड़कों तथा पुलों की निर्माण योजना और विद्युत शक्ति के विकास की योजनाओं को जो सफलता मिली है उसका भी जिक्र करने की मुझे आवश्यकता दिखाई देती है। सड़कों के निर्माण के लिये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी वह निश्चित अवधि के पहले ही पूरी कर दी गयी है। विद्युत् शक्ति की योजना भी अब पूरी हो रही है और इस कार्य की प्रगति भी बढ़ाई जा रही है। हरदुआगंज स्टेशन बन कर तैयार हो गया है। इस महीने के अन्त तक खटीमा विद्युत् शक्ति केंद्र भी चालू हो जायगा। रानीखेत में अगले मई तक बिजली लग जायेगी। आशा की जाती है कि दूसरी योजनायें, विशेषकर पथरी विद्युत केंद्र, निकट भविष्य में ही पूरी हो जायंगी। इन योजनाओं के पूरे हो जाने पर न केवल नलकूपों के लिये वरन् दूसरे उद्योग धंधों के लिये भी पूरी मात्रा में बिजली मिलने की आशा की जाती है। रिहैन्ड डैम पर भी काम तेजी से प्रारम्भ हो गया है।

पंचवर्षीय योजना की अवधि में अन्न उत्पादन करने के लिये जो लक्ष्य रक्खा गया था वह पूरा हो चुका है और सिंचाई की योजनाएं भी अवधि के पहले ही पूरी हो रही हैं। इसकी चर्चा तो मैंने पहले ही कर दी है। मार्च, १९५४ तक विद्युत शक्ति योजना का आधा लक्ष्य तो हम लोगों ने पूरा कर लिया था। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हम लोग जरूर ही इस अवधि में ही अपना पूरा लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और इतना ही नहीं उससे आगे भी बढ़ जावेंगे।

आपको शायद मालूम होगा कि सारे राष्ट्र में योजना की अवधि के पहले तीन वर्षों में जो वास्तविक व्यय हुआ है वह अनुमानित व्यय से बहुत कम हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश उन थोड़े से राज्यों में है जो इसमें पीछे नहीं रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में हमारी योजना पर जो वास्तविक व्यय हुआ है वह पूरे व्यय का ६० प्रतिशत है।

मेरी सरकार प्रगति की जो भावी रूपरेखा सोच रही है उसका संक्षेप म निर्देश करूंगा। आशा है कि दोनों सदन उसमें रुचि रखेंगे। मेरी सरकार की यह सुविचारित नीति है कि नये उद्योगों की स्थापना करने के लिये अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें। इस संबंध में कई प्रस्तावों के ऊपर विचार हो रहा है और समय आने पर वे प्रस्ताव आप के सामने रखे जायेंगे। मुझे विश्वास है कि यह योजना न केवल वर्तमान उद्योगों को ही और सुदृढ बनावेगी वरन् नये उद्योगों के विकास को भी उत्तेजना देगी।

यदि बेरोजगारी को रोकना है तो बड़े उद्योगों की स्थापना और कुटीर उद्योगों का विकास आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि मध्यम और छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये "राज्य उद्योग वित्त-निकाय" (स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन) की भी स्थापना हो चुकी है। अधिक संख्या में शिक्षित मजदूर मिल सकें, इसकी आवश्यकता मेरी सरकार अच्छी तरह समझती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये "प्रशिक्षण तथा उत्पादन केंद्र" अधिक संख्या में खोले जा रहे हैं और भविष्य में भी खोले जायेंगे।

जनता के सामाजिक कल्याण और खास करके श्रमिकों की दशा को सुधारने के विषय को मेरी सरकार ने महत्व दिया है। इस दिशा में जल्दी ही सफलता प्राप्त करने के लिये एक समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया है, जो कल्याण मंत्री के अधीन रखा गया है। भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की सिद्धि के लिये यह कदम आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है। सिद्धांत यह है कि कल्याणकारी शासन ऐसा बनाया जाय कि जिसमें उसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था कायम हो जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय से राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थाओं को ओतप्रोत कर दे।

[श्री राज्यपाल]

खाद्य पदार्थों के लिये तो हम आत्मनिर्भर हो गये हैं। मेरी सरकार राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिये अधिक ध्यान देना चाहती है और उसकी तरफ अधिकाधिक शक्ति और सम्पत्ति लगाने का विचार कर रही है। सामाजिक कल्याण कार्यालय शीघ्र ही स्थापित हो जायेगा। इस कार्यालय का कर्त्तव्य होगा कि जो कल्याणकारी प्रवृत्तियां आज भिन्न भिन्न विभागों की जिम्मेदार थी, उन्हें एकत्रित करे। यह कार्यालय दूसरे विभागों के उन कार्य-क्रमों का भी समन्वय करेगा, जो जन-कल्याण की अभिवृद्धि करने में साधारणतः लग है।

सामाजिक संस्थाओं का और उनकी प्रवृत्तियों का, प्रदेश व्यापी सर्वेक्षण करने के लिये हमारी सरकार एक समिति नियुक्त करना चाहती है। इस समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि इन प्रवृतियों को प्रभावकारी सुदृढ और आत्मनिर्भर बनावे।

जनता में पूज्य मानी जाने वाली बहुत सी धार्मिक संस्थाओं में दुर्भाग्यवश कुप्रबन्ध फैला हुआ है। उसको रोकने के लिये मेरा शासन कदम बढ़ाना चाहता है। इस सत्र में ऐसी संस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिये एक विधेयक आप के सामने विचार करने के लिये रखा जायगा।

इस सत्र में और विधेयक भी आपके सामने रखे जायेंगे खास कर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट बिल भी रखा जायेगा, क्योंकि हमारी नेशनलाइज्ड रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस की व्यवस्था और विकास में बाधा डालने वाली बहुत सी विधिक कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता है।

विधान सभा और परिषद् का सत्रावसान होने के कारण इस अवधि में कुछ अध्यादेशों को भी जारी करने की आवश्यकता पैदा हुई थी।

पिछले कुछ महीनों में आवश्यक वस्तुओं पर कंट्रोल उठा लेने की नीति उत्तरोत्तर प्रगतिशील रही है। फिर यह जरूरी था कि विकास संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक वस्तुओं के दाम और वितरण पर नियमन जारी रखा जाय। ऐसी स्थिति में जब लोहा, सीमेंट और कोयले के उत्पादन और वितरण पर केंद्रीय सरकार कंट्रोल रखती है, राज्य शासन द्वारा ईंटों का नियमन आवश्यक समझा गया। अतः एक अध्यादेश ईटों के वितरण और उत्पादन संबंधी है।

दूसरे अध्यादेश का विषय खाद्यान्न से है। यह इसलिये जारी किया गया कि "Essential Supplies Act, 1946" केंद्रीय अधिनियम है और उसकी अवधि इस वर्ष की २५ जनवरी को समाप्त हो रही थी।

इस संबंध में आवश्यक विधेयक सदन के सम्मुख रखे जायेंगे।

मेरी सरकार का उद्देश्य है कि भारतीय संविधान की धारा ४८ में रखे हुये निर्देशक सिद्धांतों को पूर्णरूप से कार्यरूप में लाया जाय। वह सिद्धांत है कि—

"राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारु और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिये तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिये प्रयत्न करेंगे।"

इस दिशा में मैं सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय की सूचना दोनों सदनों को देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग उसका स्वागत करेंगे। गोसंबर्द्धन जांच समिति ने सर्व-सम्मति से सुझाव दिया था। उसको स्वीकार करते हुये मेरी सरकार ने यह निर्णय किया है कि राज्य भर में गोवध का निषेध किया जाय। इस संबंध में आवश्यक विधेयक तैयार किया जा रहा है। वह शीघ्र ही आपके सामने रखा जायेगा। मुझे इस बात का विश्वास है कि इस विधेयक का आप लोग स्वागत करेंगे।

शासन उक्त समिति के दूसरे सुझावों पर भी विचार कर रहा है। ये सुझाव गो-वध निषेध के मुख्य सुझाव के अंग मात्र हैं। मेरी सरकार ने राज्य में पशुपालन को विकसित करने के लिये जो कार्यक्रम बनाया है उसकी ये सुझाव पूर्ति करेंगे। गोपाष्टमी महोत्सव ने अच्छी नस्ल के पशुधन की आवश्यकता को सारी जनता में फैला दिया है, यह आनन्द की बात है।

जांच समिति ने कहा है कि कानून द्वारा गो-वध निषेध सफल नहीं हो सकता। उसको सफल करने के लिये गैरसरकारी एजेंसियों और संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना होगा। उन संस्थाओं को रचनात्मक भावना से शासन का सहयोग करना होगा। जनता के उत्साह को लेकर गौ और उसकी संतान की रक्षा के लिये एक वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाना होगा।

मुझे खुशी है और आपको भी होगी कि कल्याणकारी राज्य का ढांचा इस राज्य में तेजी के साथ उभर रहा है। किन्तु मैं सोचता हूं कि अभी हमें लम्बा सफर करना है। पिछले दिनों हमने बहुत सी कठिनाइयों पर विजय पाई। भविष्य में भी हमें बहुत सी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी है। लेकिन हम सब इस बड़े और महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिये कृतसंकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार को इस काम के पूरा करने में विधान सभा और जनता का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

हमें नहीं भूलना चाहिये कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा अंग है। बहुत दृष्टियों में सबसे अधिक प्रगतिशील राज्य भी है। जो महत्व इस प्रदेश का है उससे हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। उसे हमें प्रत्येक क्षण पूरा करते रहना होगा।

जयहिन्द !

(११ बजकर २५ मिनट पर श्री राज्यपाल ने प्रस्थान किया और तत्पश्चात् विधान मंडल के सदस्य भी चले गये। विधान सभा की बैठक सभा मंडप में दिन को २ बजकर १५ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

इटावा के संबंध में श्री गजेंद्र सिंह द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक काम रोको प्रस्ताव श्री गजेन्द्र सिंह ने दिया है। वह इटावा के सम्बन्ध में है। जिस शक्ल में यह प्रस्ताव है उसमें बहुत से वाक़यात शामिल कर दिये गये हैं और वह निश्चित भी नहीं मालूम होता है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

मऊ, जिला आजमगढ़ में पुलिस द्वारा गोली चलाने के संबंध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—दूसरा काम रोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय का है वह भी इसी प्रकार का है। उसकी भाषा भी इसी प्रकार की है जिससे वह निश्चित नहीं मालूम होता है।

इसी विषय पर श्री नारायण दत्त तिवारी का प्रस्ताव है। वह स्पष्ट है। मैं उसको पढ़ कर सदन को सुना देना चाहता हूं : "यह सदन विगत ३१ जनवरी, १९५५ को मऊ, जिला आजमगढ़ में पुलिस द्वारा जनता पर गोलियां चलाई जाने और उसके परिणाम-स्वरूप अनेक व्यक्तियों के आहत होने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना कार्य स्थगित करता है।" केवल प्रश्न यह है कि इस विषय को वह किस प्रकार

[श्री अध्यक्ष]

से गोली चलाये जाने से आहत होने पर अर्जेन्ट समझते हैं? यह डेफिनिट तो है और महत्वपूर्ण भी है। इस विषय पर चर्चा अभी जो राज्यपाल महोदय का सम्बोधन हुआ है उसके ऊपर विवाद करते समय की जा सकती है और यह विषय उसमें आ सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसको किस प्रकार से अर्जेन्ट समझते हैं कि उसके ऊपर आज ही सदन में विचार होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है वह अर्जेन्ट इसलिये है कि इस घटना से मऊ थाने के जो पुलिस के अधिकारी हैं वे सम्बन्धित हैं और विशेष रूप से तीन जो पुलिस के सिपाही और अफसर जो इस समय भी मऊ थाने के अन्दर काम कर रहे हैं, उनका इस घटना से सम्बन्ध है। इस घटना का सम्बन्ध उन तीन डकैतियों से भी है जो वहां पर हुई हैं। वहां की जनता ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वहां की पुलिस के इन तीन पुलिस वालों का उनमें भी हाथ रहा है। तो इस गोलीकांड से वहां मऊ की जनता में ही नहीं आजमगढ़ जिले और पूर्वी जिलों में जनता को अत्यन्त क्षोभ है। पुलिस ने बजाय उन आफीसरों पर कोई कार्यवाही करने के जनता के ऊपर गोली चलाई, इसलिये वहां का वातावरण अशान्त है।

जैसा आपने आदेश किया, राज्यपाल के भाषण में उस पर पूरा वादविवाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह समस्त पालिसी से सम्बन्धित है इसलिये आप स्वयं ही एक किसी खास चीज पर वादविवाद करना उचित न समझेंगे। इसलिये आज वादविवाद हो जाय तो अधिक अच्छा होगा। इन बातों से इसका महत्व स्पष्ट होता है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे खबर है इस सम्बन्ध में आजमगढ़ या मऊ में कोई विषम परिस्थिति इस विषय में नहीं है। दूसरी बात यह है कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने जिन बातों का जिक्र किया, जिन फैक्ट्स के आधार पर उन्होंने अपना काम रोको प्रस्ताव पेश किया है, मैं नहीं समझता कि उनको इस प्रकार की जानकारी कैसे हुई, किस प्रकार हुई। मेरे पास जो सूचना है वह इन बातों से कुछ अलग है। श्रीमान ने भी देखा होगा कि इसके सम्बन्ध में कुछ बयानात भी प्रकाशित हुए हैं। म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन का बयान, प्रजा समाजवादी पार्टी के एक सदस्य का बयान, वहां की कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन का बयान, इसके बारे में निकले हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में, जो कुछ कार्यवाही की गयी है, उसका समर्थन किया है। इसलिये मैं यह नहीं समझता कि इस प्रस्ताव को मंजूर करने की कोई आवश्यकता है। अगर आवश्यकता हो तो मैं उन बयानात को प्रस्तुत भी कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इस विषय पर किसी वक्त कोई स्टेटमेंट देने का इरादा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त भी दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, चाहे आप किसी भी दिन दें। क्योंकि गोली चलने का मामला है इसलिये इसके ऊपर अगर स्टेटमेंट आ जाय तो उससे यह देखा जा सकता है कि उस पर वादविवाद की आवश्यकता है या नहीं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त भी दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह और भी अच्छा होगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, हमारी सूचना यह है कि मऊ में एक चौकीदार था। यह ३१ तारीख की रात की घटना है। उसको यह शुबहा हुआ कि कुछ लोग चोरी करने वाले हैं। जरूर कुछ लोगों का ऐसा इरादा रहा होगा क्योंकि उसको लोगों ने चोट पहुंचाई और ये चोट पहुंचाने वाले भाग गये। उसको अस्पताल ले जाया गया। जब वह होश में आया तो उसने जिन लोगों के नाम लिये उनमें तीन कानिस्टेबिल्स भी थे। जब उन्होंने उस चौकीदार पर हमला किया था तो वे चोरी करने वाले भी हो सकते हैं। जब एस० पी० साहब को इसकी खबर हुई तो वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने तीनों कानिस्टेबिलों को गिरफ्तार कर लिया। अब यह कार्यवाही यहीं खत्म हो जाना चाहिये थी। लेकिन कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि उनका ट्रायल जनता की अदालत में होना चाहिये। उन लोगों में कुछ कम्युनिस्ट भी थे। उस वक्त ही म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन और एस० पी० ने कहा कि यह बहुत ग़लत बात है। जो कायदा है उसके अनुसार मुकदमें को चलने देना चाहिये। लेकिन कुछ लोग इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हुए, खास तौर से कम्युनिस्ट लोग। उन्होंने पब्लिक को उभाड़ा कि लोगों को थाने के अन्दर घुस जाना चाहिये और इसके लिये भीड़ को उत्तेजित किया गया। पुलिस वालों ने लाठियां चला कर लोगों को हटाना चाहा। एक बार लोग हट भी गये। कुछ लोगों ने ढेले भी फेंके जिससे एक सब-इन्सपेक्टर और ३ कानिस्टेबिलों को चोटें आईं। जब भीड़ ने फिर घुसने का प्रयत्न किया तो मजबूर होकर गोली चलानी पड़ी। गोली चलाने के बाद भीड़ हट गयी और वहां कोई भी घायल न मिला। बाद को पता लगा कि दो साहब घायल हुये थे और दोनों साहबान ने किसी प्राइवेट डाक्टर के यहां अपना इलाज कराया। तो प्राइवेट डाक्टर का ट्रेस करने पर दोनों साहब गिरफ्तार हुए और वे दोनों आदमी जेल भेजे गये। तो इस तरह की परिस्थिति है और उस मामले में जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर तो कोई वादविवाद नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, आप इजाजत दें तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी करा दूं। अभी मैं ३० तारीख को मऊ में पहुंचा था...

श्री अध्यक्ष— मैं जानना चाहता हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री के पास इस सम्बन्ध में कोई शिकायत लिखकर भेजी थी ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने तो सोचा था कि आज सदन में जब काम रोको प्रस्ताव पेश हो तो उसी मौके पर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। क्योंकि इस समय वहां की कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में जो झगड़ा है वही मुख्य है और दूसरे जितने विषय है वे गौण हो गये हैं...

श्री अध्यक्ष— इस दृष्टि से मुझे देखना है कि मैं इसकी इजाजत दूं या नहीं। तो मुझे इसके लिये कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती कि इस विषय के ऊपर आप कुछ प्रकाश डालें क्योंकि इसकी कोई अर्जेन्सी नहीं है और अर्जेन्सी नहीं है यह बात इससे और भी स्पष्ट होती है। यदि सदन न बैठा हो, और कहीं परिस्थिति गम्भीर हो जाती तो जो सदस्य उस स्थान पर मौजूद हों या जिसने अपनी आंखों से वहां की हालत देखी हो यदि वह मामला अर्जेन्ट समझें तो उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह गवर्नमेंट को वहां की शिकायत लिख कर भेज दें और अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई कार्यवाही

[श्री अध्यक्ष]

न करे तो उस विषय में गवर्नमेंट का सम्बन्ध आ जाता है कि गवर्नमेंट ने अपना फर्ज अदा नहीं किया और फिर कामरोको प्रस्ताव इस विषय के ऊपर आ सकता है।

श्री राजनारायण—अन्य लोगों ने लिख कर भेजा था।

श्री अध्यक्ष—किसी ने काम रोको प्रस्ताव के सिलसिले में नहीं बतलाया कि वाकयात से गवर्नमेंट का क्या सम्बन्ध है। बल्कि क्योंकि यह एक महत्व का विषय था इसलिये मैं चाहता था कि उसकी जानकारी सदन को मिल जाय जिसमें फिर आगे चल कर इसके ऊपर कोई प्रकाश डालना चाहे जब कि वाद विवाद हो तो वह डाला जा सके और इसीलिये मैंने माननीय गृहमंत्री जी से इस पर प्रकाश डालने के लिये कहा। उन्होंने जो कुछ बतलाया उससे ऐसी कोई चीज़ दिखलायी नहीं देती जिससे आज ही उस विषय पर विवाद होना चाहिये। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आयी कि गवर्नमेंट के पास ऐप्रोच हुआ और उसने कोई जांच नहीं की या इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। इसलिये यह विषय काम रोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता और मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री शंकरदत्त शर्मा तथा श्री रामनरेश सिंह के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस सदन की पिछली बैठक के बाद दो दुखद घटनायें हुई हैं जिनका कि जिक्र करना सदन में आवश्यक है। इस बीच में इस सदन के दो भूतपूर्व सदस्यों की मृत्यु हुई है। एक तो मुरादाबाद के श्री शंकरदत्त जी की। श्री शंकरदत्त जो कई वर्षों तक इस सदन के सदस्य रहे हैं। यद्यपि वे हम में से बहुतों से वयोवृद्ध थे परन्तु जिन लोगों को उनसे मिलने जुलने का काम पड़ा होगा और सब लोगों को पड़ा होगा, उनको उनका हंसमुख स्वभाव अभी तक याद होगा। सदन के सदस्य होने के अतिरिक्त वे कांग्रेस के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। हमारे जितने भी आन्दोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुये, उन सब में वे शरीक हुये और न केवल वे कई बार जेल गये थे बल्कि उनको काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी। उनका प्रेस और दूसरी जायदादें जब्त कर ली गयीं। परन्तु इन सब बातों के बावजूद भी वे उसी धैर्य के साथ और हिम्मत के साथ अपने उन राजनीतिक कामों में लगे रहे।

दूसरे सज्जन जिनकी मृत्यु का मैंने जिक्र किया है, वे थे जौनपुर के श्री राम नरेश सिंह जी। श्री रामनरेश सिंह जी भी इस सदन के सदस्य रह चुके हैं और सदन में उन्होंने जो काम किया था उससे जो लोग उनके साथ सदस्य रहे हैं वे परिचित हैं। इससे बढ़ कर बात यह थी कि कांग्रेस के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। कई वर्षों तक तो वे जौनपुर जिले में कांग्रेस के सार्वजनिक कामों के प्राण थे और न केवल अपने जिले में, बल्कि इस प्रदेश में भी उनका बहुत ही ऊंचा स्थान था। मेरा उनका सन् १९२१ से साथ रहा है, जेल में भी उनके साथ रहने का मौका रहा है और यों भी अच्छा परिचय मेरा उनसे था। मैं जानता हूं और बहुत से लोग शायद जानते होंगे कि वे हमारे स्वाधीनता संग्राम में किस तरह से हमारे साथ रहे और हर आन्दोलन में और बड़े बड़े आन्दोलनों में किस तरह से, किस लगन से वे बराबर काम करते रहे और इस में उनको कितने ही आर्थिक और अनेक प्रकार के कष्ट सहन कहने पड़े। यह ठीक है कि कुछ दिनों से उनका कांग्रेस से सम्बन्ध नहीं था, लेकिन सम्बन्ध रहा हो या न रहा हो उनका धैर्य, साहस और हिम्मत सराहनीय है। हमें उनके निधन से बहुत क्षोभ है। मेरा आप से निवेदन है कि उनके परिवार और सम्बन्धियों को हमारा शोक और समवेदना पहुंचा दें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। जिस तरह से श्री शंकर

दत्त जी इस सदन के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं और उनकी सेवा की चर्चा माननीय मुख्य मन्त्री जी नें की, वह बिल्कुल ठीक ही है और इस अवसर पर हमारा शोकग्रस्त होना स्वाभाविक है। मेरी भी समवेदना उनके परिवार को भेजी जाय। इसके साथ साथ ही दूसरे सज्जन श्री राम नरेश सिंह की चर्चा हुई। मैं तो उनको बहुत निकट से जनता हूं और मेरा उनका बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध रहा है और लगातार दो-दो, तीन-तीन वर्षों तक उनके साथ जेल जीवन भी व्यतीत किया है। सन् २१ में जब सर्वप्रथम सत्याग्रह आरम्भ हुआ और उसमें जो ५५ सत्याग्रही प्रतिष्ठित लोग गिरफ्तार हुये थे, उनमें श्री रामनरेश सिंह जी भी थे। मैं बहुत ही गर्व और दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि जब जब मुल्क में सामयिक कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी है उस समय उन्होंने सर्वप्रथम कदम उठाया और वह कभी भी आदर्श से च्युत नहीं हुये, और उन्होंने हमेशा हम लोगों को प्रेरणा दी। वह आदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिये हमेशा अपने को मुसीबत में झोंकने को तत्पर रहे और जंगल की कांटों भरी राह में वह अपने को चलाने में कभी पीछे नहीं रहे। आदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिये उन्होंने अपने प्रिय से प्रिय जन का विछोह सहा। ऐसा व्यक्ति जब अपने बीच से उठ जाय तो किसको कष्ट न होगा ? हमारे तो वह एक तरह से कर्णधार थे और वह प्रान्तीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री भी थे। जिस समय उनको यह अन्तिम रोग हुआ, मैं उस घटना को बड़े दुःख के साथ कहता हूं तो मेरा हृदय विक्षुब्ध हो जाता है और वाणी रुग्ण हो जाती है।

घटना ऐसी है कि मैं ५ तारीख को बनारस जा रहा था, उस समय उन्हीं के कमरे में मेरा सामान रक्खा था। मैं चलने के लिये तैयार हुआ तो उन्होंने स्वयं मेरा बिस्तर उठा लिया और कहने लगे कि चलो मैं तुमको स्टेशन तक पहुंचा दूं। वहीं कुछ और तुमसे विचार विमर्श हो जायगा। हमने कहा कि बातचीत तो दिन भर हो ही गई है, कड़ाके की सर्दी है आप क्यों कष्ट करते हैं, इस समय आपका जाना ठीक नहीं है। उसके २ घंटे बाद ही उनको कुछ कष्ट मालूम हुआ कुछ ही दूर गाड़ी हमारी गई होगी, एक साथी श्री चान्देवा सिंह करुणेश वहीं दफ्तर में सामने वाले कमरे में थे वहां उन्होंने धक्का दिया और उसके बाद वह अपने कमरे में आकर गिर गये, उनको उठा कर करुणेश जी ने अपनी चारपाई पर लिटा दिया बाद में प्रातः मेडिकल कालेज जाने पर उनको मालूम हुआ कि उन पर पक्षाघात या फालिज आ असर हो गया है। मैं उस समय मध्यभारत में भिन्ड और मुरैना की ओर था जब मुझे यह शोक समाचार मिला। मुझे अत्यन्त क्षोभ हुआ, मैं व्यक्त नहीं कर सकता जैसा कष्ट मुझे उस समय हुआ। जो विचार माननीय मंत्री जी ने उनके निधन के विषय में व्यक्त किये हैं वह ठीक ही हैं और उनके निधन पर हमारे कवि शमस मीनाई ने जो दो वाक्य कहे हैं उनको भी मैं सदन में दोहरा देना चाहता हूं। शमस मीनाई ने कहा है कि—

"समाजवाद में जीना तो सबको आता है।
समाजवाद पर मरना सिखा गये हो तुम ।।"

जब हमने उनके यह उद्गार सुने तो हमें ऐसा मालूम हुआ कि सही मानों में वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने एक आदर्श को लेकर अपने सारे जीवन को उस पर चलाया और अन्त तक वह उस पर अटल रहे। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमन्, चाहता हूं कि हम सब लोगों की समवेदना उनके दुखी परिवार के पास आप भेज देवें।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, श्री शंकर दत्त शर्मा तथा श्री राम नरेश सिंह जी के आकस्मिक निधन के बारे में जो शोक प्रस्ताव माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका हम भी समर्थन करते हैं। मुझे इन दोनों सज्जनों से परिचित होने का कोई अवसर नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जो तारीफ आज भी और पहले भी सुनी है उससे स्पष्ट है कि इन दोनों ने देश की सेवा की है, किसी संस्था के पक्ष से नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

बल्कि इन्होंने अपनी इच्छानुसार देश की सेवा की और अन्त में यदि देखा जाय तो वास्तव में इन सरीखे व्यक्तियों ने बिना सामने आये अपने आप कार्य करने की इच्छा से ही देश सेवा की और ऐसे लोगों के परिश्रम द्वारा ही देश की उन्नति होती है। अध्यक्ष महोदय, अधिक परिचित न होने के कारण मैं इनके बारे में अधिक नहीं कह सकता, किन्तु प्रार्थना है कि आप संयुक्त दल की ओर से भी इनके परिवार को हमारी समवेदनायें भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो शोक प्रस्ताव श्री शंकर दत्त जी तथा रामनरेश जी के सम्बन्ध में रखा है और जो भावनायें उन्होंने श्री राजनारायण जी ने तथा बालेन्दु-शाह जी ने प्रकट की हैं उनके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। शंकर दत्त जी को और राम नरेश जी को, दोनों को मैं करीब तीस पैंतीस साल से जानता हूं और कांग्रेस में रहते हुये कोई प्रसंगों में साथ साथ काम किया है। जेल में तो मेरा उनका साथ नहीं रहा, वे दूसरी जेलों में रहे लेकिन असेम्बली में कई दफे उन्हें मेरे पास आने का मौका रहा और मैंने देखा कि शंकर दत्त जी मुरादाबाद के लिये सदैव ही जो प्रश्न उठाते थे वह सार्वजनिक हित के और अधिकतर भ्रष्टाचार के विरोध के सम्बन्ध में हुआ करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने और भी सार्वजनिक कार्यों में स्वतन्त्र विचार रख कर कार्य किया और वे एक वास्तविक देश प्रेमी थे। निडर आदमी थे और बड़े तेज मिजाज भी थे लेकिन उनकी तेजमिजाजी सिर्फ अन्याय के विरोध में हुआ करती थी।

श्री रामनरेश जी के बारे में तो क्या कहा जाय ? वे जौनपुर के सर्वमान्य नेता थे अपने समय के। जब तक कि हमारे राष्ट्र का स्वतन्त्रता का आन्दोलन चल रहा था और उसके बाद भी कई वर्षों तक उनके नेतृत्व में जौनपुर ने बड़े बड़े काम किये हैं। उसके बाद हमारे देश में और बहुत सी पार्टियां बंट गई इसलिये अन्य पार्टियों में उनको जाने का मौका हुआ और उसका भी कारण यही था कि वे स्वतन्त्र विचार रखते थे और जो उचित समझते थे उसी के अनुसार वह कार्य करते थे। कभी उन्होंने पद के ख्याल से कोई काम नहीं किया। क म को उचित समझ कर ही वह करते थे और इसीलिये उन्होंने यह पसन्द किया कि यदि वह विरोधी पक्ष में भी चले जायं तो कोई हर्ज नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के लिये हर एक के हृदय में आदर होता है और मैंने देखा कि विरोधी पक्ष में रहते हुये भी वह कितने सौम्य और कितने रीजनेबिल थे। इसके साथ ही मैंने यह भी देखा कि उनके जितने पुराने परिचित लोग थे उनके साथ उन्होंने कभी ऐसा विरोध नहीं लिया कि जो वैयक्तिक हो, बल्कि उनसे उनका सैद्धान्तिक विरोध रहा। इन दोनों व्यक्तियों ने, जिन्होंने आजन्म देश की सेवा के लिये ही जन्म व्यतीत किया, उनके प्रति जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है, उसके साथ मैं अपनी भावनाओं को सम्बद्ध करता हूं और इस सदन की ओर से उनके कुटुम्बियों के पास यह सहानुभुति प्रस्ताव भेज दूंगा। अब उन दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजली अर्पित करने के लिये और परमात्मा से यह प्रार्थना करने के लिये कि उनको शान्ति प्रदान करे, दो मिनट के लिये माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री गोविन्द वल्लभ पंत का विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं कि माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पन्त जी ने इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा यानी त्यागपत्र दिया है। उस त्यागपत्र को मैं सुना देता हूं।:—

"I hereby tender my resignation from the membership of the Assembly from Bareilly City Constitutency. I need not state the circums-

tances which have impelled me to do so. I am thankful to you and other members of the Assembly for the kindness and consideration which I uniformly received from them all and also from you personally."

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा तथा श्री जगन्नाथ मल्ल की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—दो सूचनायें और हैं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की, जो इस प्रकार हैं —

"सुपरिंटेंडेंट पुलिस, सहारनपुर से सूचना प्राप्त हुई है कि २९ दिसम्बर, १९५४ को लगभग दिन के २ बजकर ४५ मिनट पर श्री ख्वाजा अतहर हुसैन, एम० एल० ए० भारतीय दण्ड विधान की धारा १४८/४५२/३२३ और ३५४ के अधीन गिरफ्तार किये गये और उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिये गये।"

दूसरी सूचना इस प्रकार है —

"सुपरिंटेंडेंट पुलिस, देवरिया तथा एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, देवरिया ने मुझे सूचित किया है कि श्री जगन्नाथ मल्ल आई० एन० टी० यू० पी० तथा हिन्द मजदूर सभा के दंगों के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड विधान की धारा १४७/३२३/४५२/३३७ के अधीन २८ जनवरी, १९५५ को दिन के १० बजे गिरफ्तार किये गये और उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिये गये।"

उत्तर प्रदेश एन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश एन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ फरवरी, १९५४, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० मार्च, १९५४, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २५ जुलाई, १९५४ को प्राप्त हो गई और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का १३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज, हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज, हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ७ सितम्बर, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ सितम्बर, १९५४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय को अनुमति २२ नवम्बर, १९५४, को प्राप्त हो गई और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २२ अप्रैल, १९५४, की बैठक में तथा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३१ अगस्त, १९५४, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १३ दिसम्बर, १९५४, को प्राप्त हो गई और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम बन गया।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २० दिसम्बर, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २४ दिसम्बर, १९५४, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २८ दिसम्बर, १९५४, को प्राप्त हो गई और वह १९५४ का उत्तर प्रदेश का २७वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २७ सितम्बर, १९५४, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १६ दिसम्बर, १९५४, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३ जनवरी, १९५५ को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का प्रथम अधिनियम बन गया।

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अध्यादेश, १९५४

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अध्यादेश, १९५४, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

माल उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२ पर)

उत्तर प्रदेश एसेंशियल सप्लाईज (कंटीन्यूएंस आफ पावर्स) अध्यादेश, १९५५

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० एसेन्शियल सप्लाईज (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) अध्यादेश, १९५५ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २३—२९ पर)

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ साप्लाईज़ (कंटीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास) अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्ट्रीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९५५, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३० पर)

उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) अध्यादेश, १९५५

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) अध्यादेश, १९५५, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३१—४३ पर)

१९५१ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधन*

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ (४) के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई १९५१ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधन जो माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४९५३/१-अ—१०५९/५४, दिनांक १६ नवम्बर, १९५४ ई० के अधीन उक्त दिनांक के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित किये गये, सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन*

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, की धारा १३३ (३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६९५५ टी० पी०/३०/७८१—४९ दिनांक १८ फरवरी, १९५४, ई०, संख्या ३४९ (३) टी० एम०/३०(१४२)४९, टी० ५४, दिनांक ७ दिसम्बर, १९५४ ई०, और संख्या २००५ टी० एम० /३०/४४०९—टी०-५४, दिनांक ८ दिसम्बर, १९५४ ई० जिनसे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० , में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (कठिनाइयों को दूर करने की) (प्रथम) आज्ञा,† १९५५

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (कठिनाइयों को दूर करने की) (प्रथम) आज्ञा, १९५५, सदन की मेज पर रखता हूं।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन विधेयक, १९५४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४४—६९ पर)

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—मैं हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७०—८२ पर)

---

* कार्यवाही में छापे नहीं गये।

† कार्यवाही में छापी नहीं गयी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—उद्योग मंत्री को रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—उद्योग मंत्री वह पहले थे।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८३–८८ पर)

यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८९–९० पर)

श्री अध्यक्ष—अब यह १८वां, मैं समझता हूं हिन्दी में उसकी नकल नहीं आयी है, इसलिये आप कृपा करके कल रखेंगे। वह अंग्रेजी में तो आ चुकी है हिन्दी में नहीं आयी है। तो इसलिए यह आज नहीं रखा जा सकेगा।

अब मैं नेता सदन से यह कहूंगा—

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली तथा यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स में कृत संशोधनों पर विवादार्थ समय निर्धारण की मांग

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपने जो परिपाटी बनायी है उसके अनुसार इस समय विवाद के लिए समय मांगा जा सकता है। तो मैं कार्यवृत्त ११वें और १२वें के बारे में जो राजस्व मंत्री द्वारा जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में नियमावली बनायी गई है उस पर और १२वें के अनुसार जो परिवहन मंत्री ने मोटर वेहिकिल्स रूल्स में संशोधन किये हैं, उन पर विवाद के लिए समय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय राजस्व मंत्री इसके बारे में बतलायेंगे।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—इसके लिये उनसे मालूम करके परसों बता दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। अधिनियम में क्या दिया हुआ है, उसमें नियमों के संशोधन सदन में लाने की आवश्यकता है इत्यादि सब बातें जो हों उन सबको देख कर बता दिया जाय।

असरकारी कार्य के लिये निर्धारित दिनों में सरकारी कार्य करने के संबंध में संकल्प

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मुझे दो संकल्प उपस्थित करने थे। जहां तक पहले संकल्प की बात है उसके सम्बन्ध में.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं एक एक करके ही आप पेश कर दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं पहले के ही बारे में कह रहा हूं।

उसके बारे में विरोधी दल के नेता से बातचीत हो रही है। अभी वह बातचीत पूरी नहीं हो सकी है। सम्भव है कि बातचीत के बाद कोई ऐसा रास्ता निकल आवे जिसमें कि इस रूप में इस संकल्प को रखने की आवश्यकता न हो। इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि उसको मैं आज पेश न करूं और फिर यदि आवश्यकता हो तो इसको दूसरे रूप में रखा जाय।

दूसरे को मैं पेश करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प पेश करना चाहता हूं :—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव एसेम्बली) के नियम १८ के अनुसार ११ और २५ फरवरी, १९५५ तथा मार्च, २५, १९५५ को उक्त महीनों का क्रमशः दूसरा तथा चौथा शुक्रवार होने के कारण उक्त दिनों में सरकारी कार्य की अपेक्षा गैर-सरकारी कार्य की अग्रगामिता (प्रेसीडेंस) होगी किन्तु १९५४–५५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान तथा १९५५–५६ के आय-व्ययक एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयकों को ३१ मार्च, १९५५ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि उक्त दिनांक क्रमशः राज्यपाल के सम्बोधन पर वादविवाद तथा १९५५–५६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद और तत्सम्बन्धी अनुदानों पर मतदान के लिये निश्चित रहे।"

मैं ऐसा समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। जरूरत पड़ने पर पिछले सालों में भी सदन ने इस बात को स्वीकार किया है कि जिस जमाने में बजट पर वाद–विवाद जारी रहता है उस जमाने में जो गैर-सरकारी दिन हो इसमें भी बजट का सरकारी काम होता रहता है। ताकि किसी किस्म की आशंका न हो, मैं इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम इस बात को समझते हैं कि गैर–सरकारी कामों पर विचार करने के लिये दिन जरूर मिलना चाहिये। इसलिये मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि बजट का काम समाप्त होने के बाद हम जरूर यह जो दो या तीन दिन गैर-सरकारी काम के कट रहे हैं उनकी पूर्ति कर देंगे और मैं आशा करता हूं कि सदन इस आश्वासन के बाद मेरे इस संकल्प को स्वीकार कर लेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मुख्य मंत्री द्वारा इस आश्वासन के बाद कि दो तीन दिन जो कट रहे हैं वे हमें गैर-सरकारी कार्य के लिये दे दिये जायंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम इसे स्वीकार करते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि, उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम १८ के अनुसार ११ और २५ फरवरी, १९५५ तथा मार्च २५, १९५५ को उक्त महीनों का क्रमशः दूसरा तथा चौथा शुक्रवार होने के कारण उक्त दिनों में सरकारी कार्य की अपेक्षा गैर-सरकारी कार्य की अग्रगामिता (प्रेसीडेंस) होगी किन्तु १९५४–५५ के द्वितीय अनुपुरक अनुदान तथा १९५५–५६ के आय-व्ययक एव् तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयकों को ३१ मार्च १९५५ के पूर्व पारित करने की आवश्यता को ध्यान में रखते हुये यह भी संकल्प किया जाता है कि उक्त दिनांक क्रमशः राज्यपाल के सम्बोधन पर वाद–विवाद तथा १९५५–५६ के आय व्ययक पर सामान्य विवाद और तत्सम्बन्धी अनुदानों पर मतदान के लिये निश्चित रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगामी कार्यक्रम के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं यह जानना चाहता हूं पहले संकल्प के सम्बन्ध में कि इसको कल ले आयेंगे आप ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं, श्रीमन्, आशा तो यह करता हूं कि कल कुछ यह बात निश्चित हो जायगी और मैं इसको आपके सामने रख सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष—मैं इसलिये पूछ रहा हूं कि श्री राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में कल बहस शुरू हो जायगी और वह दो रोज की होगी । तो वह दूसरा रोज परसों का होगा या सोमवार का होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कल तक मैं आशा करता हूं कि मैं आपको बतला सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष—जो प्रथा है, उसके अनुसार मैं महामान्य राज्यपाल जी के भाषण का खुलासा एक दो लाइनों में पढ़े देता हूं पहले शुरू की एक दो लाइनें पढ़ता हूं और आखिरी एक दो लाइनें पढ़े देता हूं । क्योंकि सदन ने उनके अभिभाषण को पहले सुन ही लिया है ।

"विधान परिषद् के अध्यक्ष विधान सभा के स्पीकर महोदय तथा दोनों सदनों के सदस्यगण,

एक वर्ष पूर्व मुझे आपको सम्बोधन करने का अवसर मिला था । मुझे खुशी है कि आज फिर मुझे आप के सम्मुख सम्बोधन करने का अवसर मिला है ।

अन्त का भाग इस प्रकार है—

"हमें नहीं भूलना चाहिये कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा अंग है । बहुत दृष्टियों में सब से अधिक प्रगतिशील राज्य भी है । जो महत्व इस प्रदेश का है उससे हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है । उसे हमें प्रत्येक क्षण पूरा करते रहना होगा ।

जय हिन्द ।"

इस अभिभाषण के ऊपर बहस कल आरम्भ होगी और कल दिन भर तो होगी ही, फिर परसों होगी या सोमवार को होगी, यह बात निश्चय हो जाने के बाद दूसरे रोज के सम्बन्ध में सूचना मैं दे दूंगा ।

अब एक सूचना और देना चाहता हूं कि कल प्रश्नों का समय नहीं रहेगा और अगर परसों भी सदन बैठेगा तो प्रश्नों का समय नहीं रहेगा ।

इसमें व्यवस्था करने में कि कौन से दिन किस का समय होगा, चूंकि यह नया मंत्रिमंडल है, इसमें जरा देर होगी । इस कार्य को सोमवार से रखा है, क्योंकि मैं यह तय नहीं कर सका कि पहले समय किसका पड़ेगा । १४ तारीख से प्रश्नों का समय रहेगा ।

(इसके बाद सदन ३ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
१० फरवरी, १९५५ ।

नत्थी क

(देखिये पीछे पृष्ठ १६ पर)

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अध्यादेश, १९५४

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९५४)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त लखनऊ, यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० को संशोधित करने का

अध्यादेश

राज्यपाल संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थिति वर्तमान है, जिसमें कुछ प्रयोजनों के निमित्त लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० में तुरन्त संशोधन करना आवश्यक है ;

और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सत्र इस समय नहीं हो रहा है,

अतएव अब भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बनाकर प्रचारित करते हैं :

१—(१) यह अध्यादेश लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अध्यादेश, १९५४ कहलाएगा। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—लखनऊ युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १० में उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९२० की धारा १० का संशोधन।

"(3) where a vacancy other than a temporary vacancy referred to in sub-section (2) occurs in the office of Vice-Chancellor and the Chancellor is satisfied that it is necessary to make immediate arrangements for carrying on the office, he may appoint a Vice-Chancellor for such term not exceeding six months as the chancellor may fix, anything in sub-section (1) notwithstanding."

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी,
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९५५)

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने का

अध्यादेश

राज्यपाल संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थिति वर्तमान है जिसके कारण यह आवश्यक है कि तुरन्त ही १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय;

और राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है;

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बनाकर प्रचारित करते हैं—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ कहलाएगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ की धारा ३३२—क का संशोधन

२—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ३३२-क में शब्द "है या नहीं" के स्थान शब्द पर "है या किसी विशिष्ट दिनांक को था" रख दिये जायं।

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ की धारा ३३२-ख का संशोध।

३—मूल अधिनियम की धारा ३३२—ख में शब्द "अधिवासी अथवा असामी है या नहीं" के स्थान पर शब्द" अधिवासी अथवा असामी है या किसी प्रभावी दिनांक (material date) को था " रख दिये जायं।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ १६ पर)

उत्तर प्रदेश एसेंशियल सप्लाईज (कंटीन्यूएंस आफ पावर्स) अध्यादेश, १९५५

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९५५)

खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में एसेंशियल सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४६ के उपबन्धों को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, पुनर्विहित करने का

ऐक्ट २४, १९४६।

अध्यादेश

एसेंशियल सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४६, २६ जनवरी, १९५५ को निष्प्रभाव हो जायगा ;

ऐक्ट २४, १९४६।

और राज्यपाल को संतोष है कि ऐसी परिस्थिति वर्तमान है जिसमें उक्त ऐक्ट के कुछ उपबन्धों को और आगे जारी रखने की तुरन्त व्यवस्था करना आवश्यक है ;

और राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा है ;

और राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त हो चुके हैं ;

अतएव संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बना कर प्रचारित करते हैं ;

संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश एसेंशियल सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) अध्यादेश, १९५५ कहलायेगा।

(२) इस का प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह २६ जनवरी, १९५५ से प्रचलित होगा।

ऐक्ट २४, १९४६ के उपबन्धों का पुनर्विहित किया जाना।

२—एसेंशियल सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४६ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध जो परिष्कृत रूप में संलग्न अनुसूची में उल्लिखित हैं, जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, एतद्द्वारा पुनर्विहित (Re-enact) किये जाते हैं।

ऐक्ट २४, १९४६ के अधीन दी गयी आज्ञाओं इत्यादि का जारी रहना।

३—(१) मूल अधिनियम के अधीन किन्हीं अधिकारों को काम में लाकर, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी किसी सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा दी गयी या दी गयी समझी गयी कोई आज्ञा, जहां तक उसका सम्बन्ध खाद्य पदार्थों के उत्पादन, पूर्ति और वितरण तथा उनके व्यापार और वाणिज्य से हो, और जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व सप्रभाव (in force) थीं, सप्रभाव रहेंगी और इस अध्यादेश के अधीन उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा समझा जायगी और किसी ऐसी आज्ञा के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा की गयी ऐसी सभी नियुक्तियां, दिये गये लाइसेंस अथवा अनुज्ञापत्र (permits), प्रचारित आदेश या प्रयुक्त अधिक्षेत्र जो उक्त प्रारम्भ के तत्काल पूर्व सप्रभाव थे, उसी प्रकार सप्रभाव रहेंगे, और इस अध्यादेश के अनुसार की गयी, दिये गये, प्रचारित या प्रयुक्त समझे जायेंगे।

इस अध्यादेश की समाप्ति का प्रभाव।

४—यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्ध इस अध्यादेश की समाप्ति पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, मानो यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा उस समय निर्वातित (repealed) किया गया कोई विधायन (enactment) हो।

अनुसूची

THE ESSENTIAL SUPPLIES (TEMPORARY POWERS) ACT, 1946

(ACT NO. XXIV OF 1946)

AN

ACT

to provide for the continuance during a limited period of powers to control the production, supply and distribution of, and trade and commerce in, certain commodities.

It is hereby enacted as follows :

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946.

(2) It extends to the whole of U. P.

(3) It shall come into force at once.

Definitions.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) "essential commodity" means—

(i) foodstuffs ;

(i*a*) * * *

(ii) * * *

(ii*a*) * * *

(ii*b*) * * *

(iii) * * *

(iv) * * *

(v) * * *

(vi) * * *

(vii) * * *

(viii)* * *

(*aa*) * * *

(*b*) * * *

(*c*) "Foodstuffs" shall include edible oilseeds:

(*cc*)* * *

(*d*) "notified order" meens an order notified in official *Gazette*;

(*e*) * * *

(*f*) "State Government" means the Government of U. P.

(*g*) * * *

2-A.* * *

Powers to control production, supply, distribution, etc. of essential commodity.

3. (1) The State Government, so far as it appears to it to be necessary or expedient for maintaining or increasing supplies of the essential commodity, or for securing its equitable distribution and availability at fair prices, may be (* * *) order provide for regulating or prohibiting the production, supply and distribution thereof, and trade and commerce therein.

(1-A) An order made under sub-section (1) shall—

(*a*) in the case of an order of a general nature or affecting a class of persons be notified in the official *Gazette*, and

(*b*) in the case of an order affecting an individual persons, be served on such person,—

(i) by delivering or tendering it to that person, or

(ii) if it can not be so delivered or tendered by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person lives and the written report whereof should be witnessed by two persons living in the nieghbourhood.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (i), an order made thereunder may provide—

(*a*) for regulating by licences, permits or otherwise the production or manufacture of the essential commodity;

(*b*) * * *

(*c*) for controlling the prices at which the essential commodity may be bought or sold ;

(*d*) for regulating by licences, permits or otherwise the storage, transport, distribution, disposal, acquisition, use or consumption of the essential commodity ;

(*e*) for prohibiting the withholding from sale of any essential commodity ordinarily kept for sale;

(*f*) for requiring any person holding stock of essential commodity to sell the whole or a specified part of the stock at such prices and to such person or class of persons or in such circumstances, as may be specified in the order :

(*g*) for regulating or prohibiting any class of commercial or financial transactions relating to foodstuffs, which, in the opinion of the authority making the order are or if unregulated are likely to be, detrimental to public interest ;

(*h*) for collecting any information of statistics with a view to regulating or prohibiting any of the aforesaid matters ;

(*i*) for requiring persons engaged in the production, supply or distribution of, or trade or commerce in, any essential commodity to maintain and produce for inspection such books, accounts and records, relating to their business, and to furnish such information relating thereto as may be specified in the order ;

(*j*) for any incidental and supplementary matters, including in particular the entering, and search of premises, vehicles, vessels and aircraft, the seizure by a person authorized to make such search of any articles in respect of which such person has reason to believe

that a contravention of the order has been, is being or is about to be committed, the grant or issue of licences, permits or other documents, and the charging of fees therefor.

(3) An order made under sub-section (1) may confer powers and impose duties upon the State Government or officers and authorities of the State Government and may contain directions to such officers and authorities as to the exercise of any such powers or the discharge of any such duties.

Delegation of powers

(4) * * *

4. The State Government may by notified order direct that the power to make orders under section 3 shall, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercisable also by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the direction.

Effect of orders inconsistent with other enactments

5. * * *

6. An order made under section 3 shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act or any instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act.

Penalties

7. (1) * * *

(2) If any person contravenes any order under section 3, relating to foodstuffs,—

(*a*) he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine, unless for reasons to be recorded the court is of opinion that a sentence of fine only will meet the ends of justice; and

(*b*) any property in respect of which the order has been contravened or such part thereof as to the court may deem fit shall be forfeited to the Government, unless for reasons to be recorded the court is of opinion that it is not necessary to direct forfeiture in respect of the whole or, as the case may be, any part of the property;

Provided that where the contravention is of an order, prescribing the maximum quantity of any foodgrain that may lawfully be possessed by any person or class of persons, and the person contravening the order is found to have been in possession of foodgrain exceeding twice the maximum qunatity so prescribed, the court shall—

(*a*) sentence him to imprisonment for a term which may extend to seven years and to a fine not less than twenty times the value of the foodgrain found in his possession, and

(*b*) direct that the whole of such foodgrain in excess of the prescribed maximum quantity shall be forfeited to the Government.

Explanation—A person in possession of foodgrain, which does not exceed by more than five maunds the maximum quantity so prescribed shall not be deemed to be guilty of an offence punishable under the proviso to this sub-section.

(3) * * *

(4) * * *

Forfeiture of certain property used in the commission of offence.

7-A. Whenever any offence relating to foodstuffs which is punishable under section 7 has been committed, the court may, if the order made under section 3 so provides, direct that the packages, coverings or receptacles in which any property liable to be forfeited under the said section is found, and the animals, vehicles, vessels or other conveyances used in carrying the said property shall be forfeited to the State Government.

Provided that no court trying an offence under this Act, shall declare any such package, covering or receiptacle or any such animals, vehicles,vessels or other conveyance forfeited to the State Government, unless it is proved that the owner thereof knew that the offence was being, or was to be or was likely to be, committed.

Attempts and abatements.

8. Any person who attempts to contravene, or abates a contravention of, any order made under section 3 shall be deemed to have contravened that order.

Offences by corporations.

9. If the person contravening an order made under section 3 is a company or other body corporate, every director, manager, secretary or other officer or agent thereof shall unless he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention be deemed to be guilty of such contravention.

False statements.

10. If any person—

(i) when required by any order made under section 3 to make any statement or furnish any information, makes any statement or furnishes any information, which is false in any material particular and which he knows or has reasonable cuase to believe to be false, or does not believe to be true, or

(ii) makes any such statement as aforesaid any book account, record, declaration, return or other document which he is required by any such order to maintain or furnish,

he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

Cognizance of offences.

11. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a report in writing of the facts constituting such offence made by a person who is a public servant as defined in section 21 of the Indian Penal Code.

Power to try offences summarily.

12. Any Magistrate or Bench of Magistrate empowered for the time being to try in a summary way the offences specified in sub-section (1) of section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1898, may, on application in this behalf being made by the prosecution, try in accordance with the provisions contained in sections 262 to 265 of the said Code any offence punishable under this Act.

Special provision regarding fines.

13. Notwithstanding anything contained in section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1898, it shall be lawful for any Magistrate of the first class specially empowered by the State Government in this behalf to pass a sentence of fine exceeding one thousand rupees on any person convicted of contravening an order made under section 3.

Special provisions regarding bail.

13-A. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), no person accused or convicted of a contravention of any order under section 3, relating to foodgrains which is punishable under the proviso to sub-section (2) of section 7 shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless—

(*a*) the prosecution has been given an opportunity to oppose the application for such release, and

(*b*) where the prosecution opposes the application, it appears to the court that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such contravention.

Cases to be disposed of expeditiously.

13-B. Where any offence is not being tried in a summary way under section 12 of this Act—

(*a*) with reference to sub-section (1) of section 256 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) the next hearing of the case shall be fixed on the day following the one on which, the charge is framed, unless the Magistrate, for reasons to be recorded in writing, adjourns the case to any other day, but not later than four days, and

(*b*) the hearing of the case shall be continued from day today unless the court finds the adjournment of the hearing beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded.

Presumption as to orders.

14. (1) No order made in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any court.

(2) Where an order purports to have been made and signed by an authority in exercise of any power conferred by or under this Act, a court shall, within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872, presume that such order was so made by that authority.

Burden of proof in certain cases.

15. Where any person is prosecuted for contravening any order made under section 3 which prohibits him from doing an act or being in possession of a thing without lawful authority or without a permit, licence or other document, the burden of proving that he has such authority, permit, licence or other document, shall be on him.

protection of action taken under the act

16. (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made under section 3.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against the Government for any damage caused or likely to be caused to any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order made under section 3.

कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १६ पर)

उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९५५)

यूनाइटेड प्रांविंसेज कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ को २५ जनवरी, १९५५ के आगे जारी रखने का

अध्यादेश

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ द्वारा पुर्नविहित यूनाइटेड प्रांविंसेज कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७, जहां तक कि वह प्रचलित है, अस्थायी है और उसकी अवधि २५ जनवरी, १९५५ को समाप्त होने वाली है।

राज्यपाल को संतोष है कि ऐसी परिस्थिति वर्तमान है जिसमें तत्काल उसके जारी रखने की व्यवस्था करना आवश्यक है;

और उत्तर प्रदेश विधान मण्डल का सत्र इस समय नहीं हो रहा है और राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त हो चुके हैं ;

अतएव भारत संविधान के अनुच्छेद २१३ (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बनाकर प्रचारित करते हैं :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट २२, १९५३ का जारी रखा जाना।

२--उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में संख्या '१९५५' के स्थान पर संख्या '१९५६' रख दी जाय।

यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ की अनुसूची का संशोधन।

३--मूल अधिनियम द्वारा पुर्नविहित यूनाइटेड प्रांविंसेज कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ की अनुसूची में:

(१) मद (१) निकाल दी जाय;

(२) मद (८) निकाल दी जाय;

(३) मद (१०) के सामने शब्द "Bricks" के स्थान पर शब्द "Bricks other than fire Bricks" रख दिये जायं, और

(४) मद (१३) निकाल दी जाय।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १७ पर)

उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) अध्यादेश, १९५५

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९५५)

उत्तर प्रदेश में राज्य पथ-परिवहन सेवा की व्यवस्था करने के लिये

अध्यादेश

राज्यपाल को संतोष है कि ऐसी परिस्थिति वर्तमान है, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि सार्वजनिक हित तथा पथ-परिवहन के सुदक्ष संगठन के तथा राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक साधनों के नियोजित विकास के लिये उत्तर प्रदेश में राज्य पथ परिवहन सेवा की तुरन्त व्यवस्था की जाय;

राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है और राष्ट्रपति के अनुदेश प्राप्त हो चुके हैं

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश बनाकर प्रचारित करते हैं—

संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रसार तथा प्रारंभ।

१—(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) अध्यादेश, १९५५ कहलायेगा,

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा,

(३) यह १८ जून, १९५१ को और उससे प्रचलित हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं।

२—(१) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अध्यादेश में—

(क) "निश्चित दिनांक" का तात्पर्य ४ फरवरी, १९५५ से है;

(ख) "नियत" का तात्पर्य इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(ग) "सार्वजनिक सेवा वाहन" का वही अर्थ होगा जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में 'पब्लिक सर्विस वेहिकिल्स' का है और इसके अन्तर्गत सार्वजनिक वाहक (public carrier) भी है,

(घ) "मार्ग" (route) का तात्पर्य किसी पथ अथवा पथों अथवा पथ या पथों के भाग या भागों से है जिसके या जिनके ऊपर कोई परिवहन वाहन (transport vehicle) ऐसी अनुज्ञा (permit) के अन्तर्गत प्रयोग के लिये अधिकृत हो जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन दी गयी हो या इस अध्यादेश के न रहते दी जाती;

(ङ) "राज्य पथ-परिवहन सेवा" (State Road Transport Service) का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक सेवा वाहन द्वारा परिवहन सेवा से है;

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(छ) "ट्रांसपोर्ट कमिश्नर" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से है तथा उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे राज्य सरकार इस अध्यादेश के अधीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के कृत्यों के संपादनार्थ अधिकृत करे;

(ज) उन शब्दों तथा पदों के, जिनकी परिभाषा इस अध्यादेश में नहीं दी गई है, किन्तु जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में दिये गये हैं।

(२) इस अध्यादेश में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अन्तर्गत दिये गये किसी अनुज्ञा-पत्र (permit) के अभिदेश से उस दशा में जहां उक्त अनुज्ञा-पत्र के अधीनस्थ एक से अधिक वाहन हों यह समझा जायगा मानों वह ऐसे प्रत्येक वाहन के लिये पृथक रूप से दिया गया कोई अनुज्ञा-पत्र है।

पथ-परिवहन सेवा-संचालन का राज्य सरकार को अधिकार।

३—(१) यदि राज्य सरकार के मतानुसार सार्वजनिक हित तथा सामान्य कल्याण के लिये अथवा सुदक्ष पथ-परिवहन प्रणाली को विकसित एवं चालू रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके प्रख्यापित कर सकती है कि किसी ऐसे मार्ग पर या उसके किसी भाग में, जो निर्दिष्ट किया जाय, साधारणतः अथवा किसी वर्ग विशेष की पथ-परिवहन सेवायें इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार केवल राज्य सरकार द्वारा ही, अथवा रेलवे के सहयोग में (in conjunction with railways) राज्य सरकार द्वारा अथवा अंशतः राज्य सरकार द्वारा और अंशतः दूसरों द्वारा चालित और संचालित (run and operated) होंगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति उसमें वर्णित तथ्यों (facts) के विषय में निश्चायक साक्ष्य (conclusive evidence) होगी।

राज्य-पथ-परिवहन सेवा की योजना।

४—(१) धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य सरकार अथवा यदि राज्य सरकार आदेश दे तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, धारा ३ के अधीन प्रख्यापन के अनुसार राज्य पथ- परिवहन सेवा की योजना निर्दिष्ट रीति से प्रकाशित करेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन योजना में निम्नलिखित में से किन्हीं अथवा सभी बातों की व्यवस्था होगी, अर्थात्—

(क) वह दिनांक जिस पर राज्य पथ-परिवहन सेवा के संचालन का आरम्भ होगा;

(ख) वह मार्ग अथवा मार्ग का भाग जिस पर राज्य पथ-परिवहन सेवा की व्यवस्था की जायगी ;

(ग) वे राज्य पथ-परिवहन सेवायें जिनकी किसी मार्ग अथवा उसके किसी भाग पर व्यवस्था की जाने वाली हो तथा उस मार्ग अथवा उसके किसी भाग पर योजना से भिन्न परिवहन सेवाओं के निषेध अथवा निरोध की व्यवस्था ;

(घ) वह आयति (extent), यदि कोई हो, जिस तक खंड (ख) में निर्दिष्ट मार्ग अथवा उसके किसी भाग पर राज्य सरकार के अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों द्वारा पथ-परिवहन सेवाओं की व्यवस्था की अनुमति दी जा सकेगी ;

(ङ) वे पथ परिवहन-सेवायें जिनकी व्यवस्था केवल राज्य सरकार करेगी अथवा जिनकी व्यवस्था राज्य सरकार रेलवे के सहयोग में करेगी ;

(च) ऐसी सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले परिवहन वाहनों (transport vehicles) का प्रकार और वहन क्षमता (type and carrying capacity);

(छ) मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चेप्टर ४ के अधीन दिये गए वर्तमान अनुज्ञा-पत्रों (permits) का निरसन (cancellations) अथवा परिष्करण (modification);

(ज) मार्ग पर चलने वाले परिवहन वाहनों की संख्या में कमी;

(झ) वर्तमान अनुज्ञा-पत्रों के अन्तर्गत मार्ग का कम किया जाना (curtalment) अथवा अन्य मार्ग अथवा मार्गों पर अनुज्ञा-पत्रों का संक्रामण (transfer);

(ञ) यात्रियों की सुविधा; तथा

(ट) अन्य ऐसे पारिणामिक अथवा आनुषंगिक (consequential or incidental) मामले जो योजना के प्रयोजनों के निमित्त अपेक्षित अथवा आवश्यक हों।

(३) जब धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के अनुसार कोई परिवहन सेवा अंशतः राज्य सरकार द्वारा और अंशतः दूसरों द्वारा चालित और संचालित होने को हो, और उपधारा (२) के खंड (छ) के अधीन वर्तमान अनुज्ञापत्रों का निरसन अथवा परिष्करण आवश्यक हो गया हो, तो योजना में निरस्त अथवा परिष्कृत किये जाने वाले अनुज्ञापत्रों के व्योरे की भी व्यवस्था होगी और ऐसा करने में राज्य सरकार अथवा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जैसी भी दशा हो, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे अर्थात--

(क) अवधि के आधार पर सबसे पुराने अनुज्ञापत्र दूसरों की अपेक्षा पहले निरस्त अथवा परिष्कृत किये जायंगे;

(ख) जब एक ही व्यक्ति के पास एक ही मार्ग पर दो या दो से अधिक अनुज्ञा-पत्र हों, तो यथासंभव कम से कम एक अनुज्ञा-पत्र निरस्त अथवा परिष्कृत नहीं किया जायगा;

(ग) अनुज्ञा-पत्र के अधीनस्थ वाहन की दशा; तथा

(घ) अन्य कोई ऐसी बात जो नियत की जाय।

(४) उपधारा (२) के खंड (झ) के अधीन अन्य मार्गों पर अनुज्ञा-पत्रों के संक्रामण की व्यवस्था करने में मोटर वेंहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ की उप-धारा (१) अथवा धारा ५५ की उपधारा (१) जो भी प्रवृत्त हो, के उपबन्धों का ध्यान रखा जायगा; किन्तु किसी ऐसे संक्रामण के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी (shall not be questioned) कि इस प्रकार संक्रामित कोई अनुज्ञा-पत्र उक्त ऐक्ट के चैप्टर ४ के अधीन निश्चित संख्या--सीमा से बढ़ जायगा।

अनुज्ञा-पत्रों के निरसन अथवा संक्रामण का नोटिस।

५--(१) यदि धारा ४ के अधीन प्रकाशित योजना में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अन्तर्गत दिये गये किसी वर्तमान अनुज्ञापत्र के निरसन की अथवा ऐसे अनुज्ञापत्र के किसी अन्य मार्ग अथवा मार्गों पर संक्रामण की व्यवस्था की गई हो तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संबद्ध अनुज्ञापत्र-गृहीता (permit holder) तथा अन्य किसी व्यक्ति पर जिसको उसके मतानुसार विशेष नोटिस दिया जाना चाहिये, नोटिस तामील करायेगा। नोटिस में अनुज्ञापत्र-गृहीता से उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस आशय का लिखित प्रकथन (statement) प्रस्तुत करने को भी कहा जायगा कि वह अनुज्ञा-पत्र के संक्रामण से सहमत है या नहीं।

(२) यदि अनुज्ञा-पत्र गृहीता अनुज्ञापत्र के संक्रामण से सहमत हो और यदि अन्त में अनुज्ञापत्र वास्तव में उस प्रकार संक्रामित कर दिया जाय, तो उसे धारा ११ के अधीन प्रतिकर (compensation) के दावे का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, किन्तु अनुज्ञापत्र का संक्रामण प्रतिकर के उपलक्ष में समझा जायगा तथा उसके विषय में राज्य सरकार का पूर्ण उत्सर्जन (complete discharge) समझा जायगा। किन्तु यदि अनुज्ञा-पत्र गृहीता संक्रामण से सहमत न हो, तो उक्त धारा के अधीन अनुज्ञापत्र-गृहीता के प्रतिकर पाने के अधिकार पर विपरीत प्रभाव डाले बिना अनुज्ञापत्र का निरसन किया जा सकेगा।

आपत्तियां

६--कोई भी व्यक्ति जिसके स्वत्वों पर प्रभाव पड़ता हो, योजना के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर तत्सम्बन्धी आपत्तियां ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जो उन्हें धारा ७ के अधीन संगठित बोर्ड (मंडल) के पास अग्रसारित (Forward) करेगा।

७--(१) एक बोर्ड (मंडल) संगठित किया जायगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

(१) एक डिवीज़न का कमिश्नर जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी;

(२) परिवहन विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार के सेक्रेटरी; तथा

(३) ट्रांसपोर्ट कमिश्नर।

(२) बोर्ड धारा ६ के अधीन उसे अग्रसारित आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करके योजना को पुष्ट (confirm), परिष्कृत (modify) अथवा परिवर्तित (alter) कर सकता है।

अंतिम योजना।

८--धारा ७ के अधीन पुष्ट, परिष्कृत अथवा परिवर्तित योजना सरकारी गज़ट में प्रकाशित की जायगी और तत्पश्चात् वह अन्तिम हो जायगी और जिस मार्ग से उसका संबंध होगा वह विज्ञप्ति मार्ग (notified route) कहलायेगा।

योजना का परिवर्तन अथवा परिष्करण।

९--(१) धारा ८ के अधीन प्रकाशित कोई भी योजना राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार की स्वीकृति से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा किसी समय निरस्त, परिवर्तित अथवा परिष्कृत की जा सकेगी;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अथवा रेलवे के सहयोग में राज्य सरकार द्वारा चालित और संचालित पथ-परिवहन सेवाओं की केवल संख्या में अथवा प्रयुक्त परिवहन वाहनों में अथवा उनके प्रकारों में अथवा बैठने के स्थान में वृद्धि अथवा कमी अथवा किसी विज्ञप्त मार्ग का कम किया जाना इस धारा के प्रयोजनों के लिये योजना का परिष्कार अथवा परिवर्तन नहीं समझा जायगा।

(२) धारा ४ से ८ तक में उल्लिखित प्रक्रिया का, यथा प्रवृत्ति (so far as can be made applicable) योजना को परिवर्तित अथवा परिष्कृत करने में अनुसरण किया जायगा मानों ऐसा परिवर्तन अथवा परिष्कार एक अलग योजना हो।

धारा ८ के अधीन योजना के प्रकाशन का परिणाम।

१०--(१) धारा ८ के अधीन योजना प्रकाशित होने पर और जब तक वह प्रचलित रहे यहां पर आगे चल कर बताये गये परिणाम योजना के आरम्भ के दिनांक से विज्ञप्त मार्ग के सम्बन्ध में सप्रभाव होंगे --

(क) राज्य सरकार द्वारा अथवा रेलवे के सहयोग में राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त परिवहन वाहनों के बारे में, राज्य सरकार मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चेप्टर ४ के उपबन्धों के अनुपालन से निम्नलिखित के सम्बन्ध में जसा कि वह उस विषय में सरकारी गज़ट में विज्ञापित करे, अंशतः अथवा पूर्णतः छट की व्यवस्था कर सकती है :--

(१) अनुज्ञा-पत्रों के लेने अथवा स्वीकार करने अथवा हस्ताक्षरित (counter signing) करने की आवश्यकता;

(२) अनुज्ञा-पत्रों की अवधि तथा नवीकरण (renewal),

(३) अनुज्ञा-पत्रों से संलग्न प्रतिबन्ध (conditions),

(४) अनुज्ञा-पत्रों का निरसन (cancellation) तथा स्थगन (suspension),

(५) अनुज्ञा-पत्रों की संख्या पर निरोध (restriction),

(ख) कोई भी व्यक्ति (अकेले अथवा रेलवे के सहयोग में राज्य सरकार को छोड़ कर) खंड (ग) के अधीन की गयी व्यवस्था को छोड़ कर मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चेप्टर ४ के अधीन अनुज्ञा-पत्र का अधिकारी न होगा।

(ग) राज्य सरकार ऐसे परिवहन वाहनों की, यदि कोई हों, संख्या निर्दिष्ट कर सकती है जिसके निमित्त राज्य सरकार अथवा रेलवे के सहयोग में सरकार से भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत अथवा प्रति हस्ताक्षरित किये जा सकते हैं।

(घ) राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी नियत रीति से किसी अनुज्ञा-पत्र को निरस्त कर सकता है अथवा किसी अन्य मार्ग के लिये संक्रामित कर सकता है अथवा आदेश दे सकता है कि किसी अनुज्ञा-पत्र का अथवा अनुज्ञापत्रों के वर्ग का नवीकरण न हो सकेगा अथवा वे ऐसे दिनांक से, जो निर्दिष्ट किया जाय, सप्रभाव न रहेंगे, अथवा किसी अनुज्ञा-पत्र के अन्तर्गत वाहनों की संख्या या मार्ग में कमी कर सकता है अथवा मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अधीन स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है।

(ङ) सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी , रजिस्टरिंग अथारिटी अथवा लाइसेंसिंग अथारिटी के सभी अथवा कोई कृत्य (functions), कर्तव्य (duties) तथा अधिकार (powers) विज्ञप्ति में निर्दिष्ट आयति (extent) तक और रीति (manner) से ऐसे अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा उपार्जित, संपादित, अथवा प्रयुक्त (discharged, performed or exercised) होंगे जैसा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय।

(च) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी अथवा अन्य किसी प्राधिकारी को ऐसा आदेश प्रचारित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे और ऐसा अधिकारी अथवा प्राधिकारी ऐसे सभी आदेशों और आज्ञाओं का तुरन्त पालन करेगा।

(२) उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन तथा अनुसार संक्रामित कोई अनुज्ञापत्र उसी प्रकार सप्रभाव होगा और सप्रभाव समझा जायगा मानो वह अपनी वैधता (validity) की अवशिष्ट अवधि के लिये मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चेप्टर ४ के अधीन स्वीकृत अनुज्ञापत्र हो ।

(३) मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ४४ की उपधारा (२) की कोई भी बात उपधारा (१) के खंड (ङ) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी पर प्रयुक्त न होगी।

अपरिपक्व अनुज्ञा-पत्रों के निरसन अथवा मार्ग अथवा मार्गों में कमी करने के उपलक्ष में प्रतिकर।

११—(१) यदि धारा ८ के अधीन प्रकाशित योजना के अनुसार मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चेप्टर ४ के अधीन स्वीकृत कोई वर्तमान अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जाय या निरस्त किया गया समझा जाय अथवा तदंतर्गत मार्ग या मार्गों में कमी की जाय या की गयी समझी जाय तो उस दशा को छोड़ कर जहां अनुज्ञा-पत्र के संक्रामण से धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन सहमति, अनुज्ञा-पत्र-गृहीता राज्य सरकार से अनुसूची १ में निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार अवधारित प्रतिकर अनुज्ञापत्र के अपरिपक्व निरसन (premature cancellation) अथवा तदंतर्गत मार्ग अथवा मार्गों में कमी के, जैसी भी दशा हो, उपलक्ष में प्राप्त करने का अधिकारी होगा और प्राप्त करेगा ।

(२) इस धारा के अधीन देय (payable) प्रतिकर अनुज्ञा-पत्र के निरसन अथवा तदंतर्गत मार्ग में कमी की आज्ञा के दिनांक से देय होगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि पर अनुज्ञापत्र के निरसन अथवा मार्ग में कमी की आज्ञा के दिनांक से उपर्युक्त प्रकार से प्रतिकर के अवधारण के दिनांक तक २ १/२ प्रतिशत के हिसाब से राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जायगा।

(४) इस धारा के अधीन देय प्रतिकर नक़दी में दिया जायगा।

(५) उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार दी जाने वाली प्रतिकर की धनराशि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा अवधारित की जायगी और अनुज्ञापत्र-गृहीता को इस अध्यादेश के अधीन देय प्रतिकर की पूरी भरपाई (full satisfaction) के उपलक्ष्य में प्रस्तुत (offer) की जायगी और यदि इस प्रकार प्रस्तुत धनराशि (amounts so offered) अनुज्ञा-पत्र-गृहीता को स्वीकार न हो तो ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ऐसी अवधि के भीतर तथा उस रीति से, जो नियत की जाय, मामला डिस्ट्रिक्ट जज को निर्णय के लिये अभिदिष्ट (refer) करेगा और इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

मोटर वाहनों की खरीद।

१२—मोटर वेहिक्लिस ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अन्तर्गत दिया गया कोई अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने पर अथवा धारा ७ के अधीन प्रकाशित योजना के अनुसार अनुज्ञापत्र से सम्बद्ध मार्ग में कमी की जाने पर, यदि अनुज्ञापत्र, गृहीता अनुज्ञापत्र के अधीनस्थ मोटर वाहन बेचना चाहे तो राज्य सरकार ऐसे वाहन को अनुसूची २ में दिये गये प्रतिबन्धों तथा शर्तों पर ख़रीद सकती है।

किन्तु प्रथमतः प्रतिबन्ध यह है कि वाहन इस प्रकार के निर्माण और प्रकार की हो जो सरकार द्वारा विज्ञापित किये जायं, तथा

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि वाहन यांत्रिक रूप से ठीक दशा में हो और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अथवा उसके नामांकिती (nominee) द्वारा अन्य प्रकार से ठीक प्रख्यापित कर दी गयी हो।

मोटर परिवहन उद्योग का विकास।

१३—राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के, यदि कोई हों, अधीन, अन्य लक्ष्यों के साथ-साथ मोटर परिवहन उद्योग के विकास के लिये राज्य सरकार—

(क) मोटर वाहनों अथवा अन्य मशीनों, उनके भागों, आनुषंगिकों (accessories) तथा पुर्जों (instruments) की मरम्मत विकरण (overhaul), पुनर्निर्माण (re construction), संगठन (assemblage) अथवा पुनस्संगठन (re-conditioning) के निमित्त तथा ऐसे भागों, आनुषंगिकों तथा पुर्जों के निर्माण के हेतु उद्योगशालायें (workshops) स्थापित कर सकती हैं अथवा तदनुरूप अन्य प्रबंध कर सकती है;

(ख) मोटर परिवहन से संबद्ध मामलों के प्रशिक्षण की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था कर सकती है;

(ग) पथ-परिवहन में प्रयुक्त मोटर वाहनों के प्रकार के सम्बन्ध में, तथा इस अध्यादेश के अधीन व्यवस्थित राज्य पथ-परिवहन सेवाओं के सम्बन्ध में जिसमें आहार (catering) उपाहार-गृह (restaurants), मालगोदाम तथा बड़े गोदाम (ware houses) की व्यवस्था भी सम्मिलित है, ऐसी कार्य वाही कर सकती है जिससे उनमें सुधार हो सकें; तथा

(घ) सामान्यतया ऐसी सब कार्यवाहियां कर सकती हैं जिनसे मोट परिवहन सेवाओं की दक्षता बढ़े।

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर।

१४—(१) राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिये एक ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर सकती है।

(२) ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऐसे कर्त्तव्यों का पालन और अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियत किये जायं।

परामर्शदात्री समितियों की नियुक्ति।

१५—(१) राज्य सरकार सेवा की दक्षता एवं जन-साधारण की सुविधा से संबंधित किसी मामले के संबंध में सिफारिशें करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के लिये एक या एक से अधिक परामर्शदात्री समितियां नियुक्त कर सकती है।

(२) समिति में उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार नियुक्त करे।

(३) समिति और उसके सदस्यों का कार्यकाल (term), आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की रीति, इसकी कार्य प्रतिक्रिया तथा इसके कार्य का संचालन उस प्रकार होगा जैसा नियत किया जाय।

अधिकारों का प्रतिनिधायन (delegation)।

१६—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, धारा ३ में निर्दिष्ट अधिकारों को छोड़ कर, इस अध्यादेश के अधीन अपने को प्राप्त अधिकारों में से किसी अधिकार को किसी भी अपने अधीनस्थ अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट निरोधों और प्रतिबन्धों के अधीन प्रयोग किये जाने के लिये सौंप सकती है।

धारा ६ का उल्लंघन करके किसी सार्वजनिक सेवा वाहन का प्रयोग अपराध होगा।

१७—(१) जो कोई व्यक्ति धारा १० के खंड (ग) के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी सार्वजनिक सेवा वाहन को चलायेगा अथवा प्रयोग करायेगा या प्रयोग करने की अनुमति देगा वह अर्थ-दंड द्वारा, जो पांच सौ रुपया तक हो सकता है, दंडनीय होगा।

(२) इस धारा की कोई भी बात आपात (emergency) के समय किसी भी सार्वजनिक सेवा वाहन द्वारा रोग-पीड़ित अथवा क्षत-विक्षत (suffering from injury) व्यक्तियों के ढोने अथवा शवों के परिवहन अथवा आपत्ति निवारणार्थ औषधियों के परिवहन पर प्रयुक्त न होगी;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वाहन का चालक व्यक्ति सात दिनों के भीतर ऐसे प्रयोग के विषय में नियत प्राधिकारी को आख्या (report) देगा।

सार्वजनिक वाहक अथवा राज्य सरकार के संवित वाहकों (contract carriage) के सम्बन्ध में अधिकार प्रदान।

१८—धारा १० के उपबन्धों को बाधित न करते हुये किन्तु मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में किसी बात के होते हुये भी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अथवा उसके द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त किसी भी अधिकारी के लिये यह वैध (lawful) होगा कि वह राज्य सरकार के किसी भी सार्वजनिक भार-वाहक (public carrier) अथवा संवित वाहक (contract carriage) को उत्तर प्रदेश के किसी मार्ग पर अथवा सभी मार्गों पर चलाये जाने के लिये अधिकृत करे और तब उपर्युक्त सार्वजनिक-सेवा-वाहक उसी प्रकार प्रयोग में लाया जा सकेगा मानो उक्त अधिकार प्रदान मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के उपबन्धों के अधीन अथवा अनुसार दिया गया अनुज्ञा-पत्र था।

कार्यवाहियों तथा कार्यों का वैधीकरण (validation)

१९—(१) धारा १७ के अधीन अनुज्ञा-पत्र के निरसन अथवा तदन्तर्गत मार्ग में कमी के उपलक्ष में किसी भी व्यक्ति के धारा ११ के अधीन प्रतिकर पाने

के अधिकार को मानते हुए, यदि कोई हो, किन्तु तत्समय प्रचलित किसी अन्य उपबन्ध को बाधित न करते हुए--

(क) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश राजकीय पथ–परिवहन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा अनुसार किसी भी प्राधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञायें, किये गये कार्य अथवा कार्यवाहियां, प्रचारित आदेश अथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र (jurisdictions) अथवा उक्त अधिनियिम के अधीन इस प्रकार दी गयी, किये गये, प्रचारित अथवा प्रयुक्त समझे गये, विधि की दृष्टि से किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी का कोई निर्णय (Judgment) डिक्री, आज्ञा या विनिश्चय (decision) होते हुये भी, उसी प्रकार वैध और ठीक समझे जायेंगे मानो ऐसी आज्ञायें, कार्य, कार्यवाहियां, आदेश तथा अधिक्षेत्र इस अध्यादेश के अधीन यथोचित रूप से दी गयी, किये गये, प्रचारित अथवा प्रयुक्त किये गये हों;

(ख) अनुज्ञापत्र से संबंधित मार्ग पर राज्य पथ-परिवहन सेवा के चलन और संचलन अथवा चलन और संचलन के आरम्भ के कारण निश्चित दिनांक पर या उससे पहले दी गयी, परिवहन वाहन के किसी अनुज्ञापत्र का निरसन अथवा तदन्तर्गत मार्ग में कमी करने वाली अथवा कोई नया प्रतिबन्ध लगाने वाली अथवा ऐसे वाहन के निमित्त पहले से किसी अनुज्ञा-पत्र से संलग्न प्रतिबन्धों का परिवर्तन करने वाली प्रत्येक आज्ञा तथा किसी मार्ग पर प्रयुक्त होने वाले परिवहन वाहनों की संख्या को निरुद्ध करने वाली अथवा अन्यथा निश्चित करने वाली या अनुज्ञापत्र से सम्बद्ध मार्ग परिवर्तित करने वाली प्रत्येक आज्ञा तथा पहले से स्वीकृत किसी अनुज्ञापत्र के नवीकरण (renewal) को अस्वीकार करने वाली प्रत्येक आज्ञा, विधि की दृष्टि से, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में किसी बात के होते हुये भी, वैध होगी और एतद्द्वारा वैध की जाती है और वैध प्रख्यापित की जाती है, तथा

(ग) सरकारी गजट में इस अध्यादेश के प्रथम प्रकाशन के दिनांक पर किसी भी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष मूल कार्यवाही अथवा अपील अथवा अन्य किसी रूप से विचाराधीन सभी वाद तथा अन्य कार्यवाहियां (Suits or proceedings) इस प्रकार निर्णीत की जायंगी मानों यह अध्यादेश सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो (as if this act had been in force on all material dates) ।

(२) उपधारा (१) के खंड (क) के उपबन्धों की सामान्यता को बाधित न करते हुये, एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि--

(क) प्रत्येक मार्ग जिस पर निश्चित दिनांक को राज्य पथ–परिवहन सेवा संचालित थी तथा प्रत्येक ऐसी सेवा, इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिये, धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट मार्ग समझा जायगा तथा धारा ४ से ८ तक के अधीन

तथा अनुसार यथोचित रूप से निर्मित और प्रकाशित योजना के अधीन संचालित सेवा समझी जायगी ।

(ख) निश्चित दिनांक से पूर्व मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अधीन स्वीकृत अनुज्ञापत्र के निरसन अथवा उसमें कमी करने की प्रत्येक आज्ञा तथा अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत मार्ग में कमी करने की अथवा ऐसे अनुज्ञापत्र के किसी दूसरे मार्ग अथवा मार्गों पर संक्रामण की प्रत्येक आज्ञा धारा १० के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार दी गयी समझी जायेगी और ऐसे निरसन, कमी करने अथवा संक्रमण के सम्बन्ध में धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी; और

(ग) यदि किसी व्यक्ति को जिसका अनुज्ञापत्र अथवा जिसके अनुज्ञापत्र उपर्युक्त प्रकार से निरस्त कर दिये गये हों इस प्रकार निरस्त अनुज्ञा-पत्र अथवा पत्रों के उपलक्ष में अथवा तत्सम्बन्धी रियायत (concession) के रूप में किसी अन्य मार्ग के लिये ऐसे निरसन के दिनांक से छः मास के भीतर एक या एक से अधिक अनुज्ञापत्र दिये गये हों तो धारा ५ के आशय के अन्तर्गत इस अनुज्ञापत्र अथवा पत्रों का ऐसे अन्य मार्ग के लिये अनुज्ञापत्र गृहीता को नोटिस दे कर और उनकी सहमति से किया हुआ संक्रमण समझा जायगा ।

निरसन और अपवाद।

२०—(१) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश राजकीय पथ-परिवहन अधिनियम इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक से निरस्त हो जायगा (shall stand repealed) ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ की सामान्य प्रवृत्ति को बाधित न करते हुये जहां तक उसका सम्बन्ध निरसनों (repeals) से है किन्तु धारा १० के उपबन्धों के भी अधीन ऐसा निरसन उक्त अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट आज्ञा अथवा किसी राज्य पथ-परिवहन सेवा की वैधता को बाधित न करेगा और न उस पर प्रभाव डालेगा और वे उसी प्रकार वैध रहेंगे मानों उक्त अधिनियम निरस्त न हुआ हो ।

(२) यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा २४ के उपबन्धों की सामान्य प्रवृत्ति को बाधित न करते हुए, जहां तक उसका सम्बन्ध निरसनों और पुनर्विधायनों (repeals and re-enactments) से है, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश राजकीय पथ-परिवहन अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, जिसमें की गयी कोई नियुक्ति, दिया गया प्रार्थना-पत्र, प्रचारित विज्ञप्ति, आज्ञा, अनुदेश अथवा आदेश, निमित्त नियम, आकार-पत्र (form)उपविधि (byelaw) अथवा योजना, स्वीकृत प्रमाण-पत्र (certificate) अनुज्ञापत्र अथवा लाइसेंस तथा किया गया निबन्धन (registration) सम्मिलित है, जहां तक वे इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत (inconsistent) न हों, प्रचलित और सप्रभाव रहेंगे तथा इस अध्यादेश के तत्सदृश (corresponding) उपबन्धों के अनुसार किये गये अथवा संपादित समझे जायेंगे ।

इस अध्यादेश के उपबन्धों की मान्यता।

२१—(१) जब इस अध्यादेश के उपबन्धों तथा अन्य किसी विधि (law) के उपबन्धों के बीच कोई परस्पर विरोध अथवा असंगति (conflict or inconsistency) हो, तो इस अधिनियम के उपबन्धों को मान्यता दी जायगी ।

(२) किसी अन्य विधायन (enactment) अथवा ऐसे विधायन के अन्तर्गत प्रभावी किसी करण (instrument) में कोई असंगति बात होते हुये भी, इस अध्यादेश के अधीन दी गयी कोई आज्ञा अथवा दी हुयी समझी गयी कोई आज्ञा प्रभावशील रहेगी ।

नियम बनाने का अधिकार ।

२२—(१) इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लियें राज्य सरकार नियम बना सकती है ।

(२) पूर्ववर्ती अधिकारों की सामान्यता को बाधित न करते हुये इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है —

(क) धारा ३ के अधीन प्रख्यापन का आकार (form);

(ख) आकार जिसमें धारा ४ और ८ के अधीन योजना प्रकाशित की जायगी;

(ग) धारा ५ के अधीन नोटिस का आकार पत्र तथा रीति जिसके अनुसार वह तामील किया जायगा;

(घ) आकार जिसमें अनुज्ञा–पत्र–गृहीता धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन अपना अनुबन्ध (agreement) निविष्ट (lodge) करेगा;

(ङ) रीति जिसमें धारा ६ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायंगी;

(च) रीति जिसमें धारा ७ के अधीन आपत्तियों पर विचार होगा और उन्हें निस्तारित (dispose of) किया जायगा;

(छ) धारा ७ के अधीन बोर्ड की कार्यप्रणाली तथा कार्य–संचालन की प्रक्रिया जिसमें इयत्ता सम्बन्धी व्यवस्था (provision for quorum) भी सम्मिलित है;

(ज) धारा ११ के अधीन प्रतिकर की धनराशि के अवधारण से सम्बद्ध विषय तथा उस पर ब्याज;

(झ) रीति जिसमें प्रतिकर का भुगतान किया जायगा;

(ञ) इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये जाने वाले प्राधिकारी, अधिकारी और कर्मचारिवर्ग तथा उनके अधिकार और कर्त्तव्य;

(ट) इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिये नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारिवर्ग की सेवा की शर्तें तथा योग्यतायें ;

(ठ) इस अध्यादेश के द्वारा अथवा अधीन किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्राप्त अधिकारों का प्रतिनिधायन (delegation);

(ड) इस अध्यादेश के अधीन अधिक्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा उक्त अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ढ) ऐसी कालावधियों (time limits) का आरोपण जिनके भीतर इस अध्यादेश के अधीन किये जाने वाले कार्य होने ही चाहिये तथा इसकी व्यवस्था कि उनमें (नियमों में) निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी आरोपित कालावधियां बढ़ाने का अधिकार हो अथवा न हो ;

(ण) ऐसे विषयों में जिनके लिये कोई सुस्पष्ट (specific) व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अध्यादेश के अधीन प्रार्थना-पत्रों अथवा अन्य कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(त) इस अध्यादेश के अधीन किसी प्रार्थना-पत्र अथवा कार्यवाही के सम्बन्ध में दिया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो, तथा

(थ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायं ।

अनुसूची १

(धारा ११ देखिये)

पैरा १—अध्यादेश की धारा १० की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन कान्ट्रैक्ट कैरिज या स्टेज कैरिज या पब्लिक कैरियर्स परमिट के निरसन के उपलक्ष्य में धारा ११ के अधीन देय प्रतिकर अनुज्ञापत्र के अधीनस्थ प्रत्येक वाहन के लिये निम्नलिखित प्रकार से परिगणित किया जायेगा, अर्थात्

(१) अनुज्ञापत्र की अवशिष्ट अवधि के प्रत्येक पूरे मास अथवा मास के किसी भाग के लिये जो पंद्रह दिनों से अधिक हो पचहत्तर रुपये ;

(२) अनुज्ञापत्र की अवशिष्ट अवधि के किसी मास के भाग के लिये जो पंद्रह दिनों से अधिक न हो, साढ़े सैंतीस रुपये ;

किन्तु सदैव यह प्रतिबन्ध रहेगा कि प्रतिकर की धनराशि किसी भी दशा में पचहत्तर रुपये से कम न होगी ।

पैरा २—अध्यादेश की धारा १० की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन स्टेज कैरिज अथवा पब्लिक कैरियर परमिट के अन्तर्गत मार्ग अथवा मार्गों में कमी किये जाने के उपलक्ष्य में धारा ११ के अधीन देय प्रतिकर निम्नलिखित सूत्र (Formula) के अनुसार परिगणित धनराशि होगी :—

$$\frac{\text{ल} \times \text{ध}}{\text{म}}$$

इस सूत्र में:—

ल का तात्पर्य मीलों में उस लम्बाई से है, जितनी मार्ग में से कम की गयी हो । ध का तात्पर्य उपर्युक्त पैरा १ के अनुसार परिगणित धनराशि से है । म का तात्पर्य अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत मार्ग की मीलों में कुल लम्बाई से है ।

अनसूची २

(धारा १२ देखिये)

यदि धारा १२ के अनुसार कोई मोटर वाहन राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाय उसके लिये देय मूल्य ५०० रु० तक घटा या बढ़ा कर जिसे वाहन की दशा के कारण ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या उसका नामांकिती अवधारित करेगा, निम्नांकित रूप में निर्धारित किया जायगा ; अर्थात्

१—वाहन का मूल मूल्य जो निम्नांकित के बराबर होगा :—

(क) (१) चैसिस के वर्तमान सूचीगत मूल्य (list price) में १० प्रतिशत की कमी करके; और

(२) वाहन के बाडी की मूल लागत जिसे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या उसका नामांकिती बाडी की बनावट (Design) तथा प्रकार और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को ध्यान में रख कर आवधारित करेगा;

के जोड़ में से निम्नलिखित घटा कर—

(ख) (१) उस दिनांक से जब मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन वाहन की प्रथम रजिस्ट्री हुयी थी, प्रारम्भ होने वाले पहले वर्ष के लिये अपकर्ष (Depreciation) के कारण मूल मूल्य का २५ प्रतिशत;

(२) द्वितीय वर्ष के लिये अपकर्ष के कारण उपयुक्त (१) के अधीन परिगणित मूल्य (written down value Computed) का २५ प्रतिशत , और

(३) प्रत्येक बाद के वर्ष के लिये अपकर्ष के कारण परिगणित मूल्य (written down value Computed) का २० प्रतिशत प्रतिवर्ष ।

स्पष्टीकरण—पैरा (१) के प्रयोजनों के लिये छः मास से कम की अवधि गणना में नहीं ली जायगी और छः मास के अधिक की अवधि एक वर्ष मानी जायगी ।

(२) यदि किसी कारण से चैसिस का सूचीगत मूल्य उपलब्ध न हो तो उसी प्रकार तथा नमूने की चैसिस के वर्तमान सूचीगत मूल्य को ध्यान में रखकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उसे अवधारित करेगा ।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ १७ पर)

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ।)

(विधान परिषद् द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों "[ ]" में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है)

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ को संशोधित करना आवश्यक है। अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २ का संशोधन।

२—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

(१) खंड (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*a*) 'Collegel' means a unit of residence for students of the University maintained or recognized by the University in accordance with the provisions of this Act in which tutorial and supplementary instruction is provided under conditions prescribed in the Statutes."

(२) खंड (a) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*aa*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*aa*) 'Associtated College' means an institution recognized by the University and authorized under the provisions of this Act to [impart] provide all the teaching necessary for admission to a degree of the Univeristy."

(३) निम्नलिखित को खंड (*d*) और (*e*) के रूप में रख दिया जाय—

"(*d*) 'Management' means the Managing Committee or other body charged with managing the affairs of an institution, recognized by the University'.'

"(*e*) 'Delegacy' means the authority charged under this Act with the care of students of the University not residing in or attached to a college or a hostel."

(४) खंड (*f*) में शब्द "college" के पश्चात् शब्द "or an Associated College" बढ़ा दिये जायं।

(५) खंड (*g*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*gg*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*gg*) 'Student of the University' means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted but does not include a person enrolled in an Associated College."

(६) खंड (*i*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*i*) 'Teacher of the University' means a person appointed by the University to give instruction for degrees or to guide or conduct research, in the University."

(७) खंड (*l*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*m*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

'(*m*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh."

३—मूल अधिनियम की धारा ५ में— यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ५ का संशोधन।

(१) खंड (I) में शब्द "the University may think fit" के स्थान पर शब्द "may be prescribed by the Ordinances" रख दिये जायं।

(२) खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"(2) To institute degrees, diplomas and other academic distinctions, and to hold examinations for and grant and confer such degrees, diplomas and distinctions to and on persons who—

(*a*) shall have pursued a course of study in the University or an Associated College, or carried on research in the University under conditions prescribed in the Statutes or Ordinances, or

(*b*) are teachers in educational institutions satisfying conditions prescribed by the Ordinances in this behalf, or

(*c*) shall have carried on research in an institution recognized in that behalf by the University or independently, under conditions laid down in the Statutes and Ordinances.,

and shall have passed the examinations of the University under conditions prescribed in the Statues and the Ordinances."

(३) खंड (४) निकाल दिया जाय।

(४) निम्नलिखित खंड (५) के रूप में रख दिया जाय—

"(5) to recognize Associated Colleges."

(५) खंड (६) में शब्द "hostels" के पश्चात् शब्द "and ossociated Colleges" बढ़ा दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ६ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ६ में निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ७ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ७ में उपधारा (1) से (4) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(1) Teaching in courses prescribed for the degrees of the University shall include lecturing work in laboratories and workshops and other teaching conducted in or by the University or in an Associated College in accordance with any syllabus -prescribed by the Ordinances and Regulations. The authorities responsible for organizing such teaching shall be prescribed by the Statutes.

(2) The courses of study and the curricula shall be prescribed by the Ordinances and subject thereto by Regulations.

(3) Teaching given by teachers of the University shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the University or under the authority of the University in colleges and hostels. Teaching given by the techers of an Associated College shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the Associated College or in a residential unit attached to it or in anothr Associated College or in the University under an arrangement made between such Associated Colleges or with the University.

(4) Where attendance at a course of instruction is prescribed as a condition of admission to an examination or a degree of the University, such condition shall include provision for attendance at teaching referred to in sub-section (1) and (3)."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ८ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

8. "Visitation. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the

University,its buildings, laboratories, workshops and equipment, and of any college, hostel or other institution maintained or recognized by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University or an Associated College.

(2) The State Government shall in every case give notice to the Univeritsity of its intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(3) The State Government may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council and the Court the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the-action to be taken thereon.

(4) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council together with the views which the Court may have expressed on the report.

(5) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government the State Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit and the University authorities shall be bound to comply with such directions."

७—मूल अधिनियम की धारा ९ में मद (iv) तथा (v) के बीच में निम्नलिखित नया मद (iv-*a*) के रूप में रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ९ का संशोधन।

"(iv-a) The Dean of Student Welfare."

८—मूल अधिनियम की धारा १० में (१)—उपधारा (1) के प्रथम वाक्य के स्थान में निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा १० का संशोधन।

"The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor."

(२) उपधारा (2) निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ११ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

11. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and be appointed by the Chancellor in the manner provided in this section.

(2) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor-shall be such as are prescribed by the Statutes and shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(3) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years but may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(4) No person who has at any time previously held the office of Vice-Chancellor of the University otherwise than in a vacancy referred to in sub-section (8) shall be eligible for re-appointment.

(5) The Executive Council shall, as far as may be, at least forty days before a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, meet for the purpose of deciding the name of the person to be recommended to fill the vacancy. If at this meeting the Executive Council decides unanimously the name of any person his name shall be recommended to the Chancellor who shall thereupon appoint him, and if it fails to decide unanimously the name of any person it shall adjourn to a date within ten days next following. At the adjourned meeting, if the Executive Council—

(*a*) decides unanimously the name of any person, he shall be recommended to the Chancellor who shall thereupon appoint him;

(*b*) is unable to decide unanimously the name of any person it shall in the same meeting decide the names of not more than three persons for being recommended to the Chancellor :

Provided that if more than three names are proposed in that behalf it shall choose three out of them according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote. The names so chosen shall then be recommended to the Chancellor.

(6) On receipt of the recommendation under clause (*b*) of sub-section (5) the Chancellor may, in his discretion—

(*a*) appoint as Vice-Chancellor any one out of the persons recommended by the Executive Council, or

(*b*) return the names to the Executive Council for reconsideration.

(7) Where the Chancellor has returned the names for reconsideration under clause (*b*) of sub-section (6) the Executive Council shall be free—

(*a*) to recommend to the Chancellor the name of any person decided unanimously in which case the person whose name is so decided shall be appointed by the Chancellor, or

(*b*) to recommend to the Chancellor, in case it is unable to decide unanimously the name of any person, the names previously recommended by it or any names, not exceeding three in number, decided in the manner laid down in sub-section (5), and the Chancellor shall appoint any one out of the names so recommended.

(8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave or any cause othe than resignation in accordance with sub-section (3) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor. If the vacancy is, or is likely, to last for a period exceeding six months, the Chancellor shall call upon the Executive Council to forward its recommendations and the provisions of sub-sections (1) and (5) to (7) shall in so far as may be, apply for the filling of the vacancy. In other cases the Executive Council may, subject to the approval of the Chancellor, either appoint the Vice-Chancellor or make such other arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as it may think fit.

(9) Until arrangements have been made under sub-section (8), the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor, but he shall not preside at meetings of the University Authorities."

१०—मूल अधिनियम की धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा १२ का संशोधन।

"Powers and dutiesof the Vice-Chancellor.

12. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, and shall in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any convocation of the University. He shall be an *ex-officio* member and chairman of the Executive Council and the Academic Council. He shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of the meetings of any other Authority or body of the University but shall not merely by virtue of this sub-section be entitled to vote thereat.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor under section 42, possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Court, the Executive Council and the Academic Council :

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline therein.

(5) The Vice-Chancellor may start disciplinary proceedings against any salaried officer or teacher of the University and may, wherever necessary, also place him under suspension. Where disciplinary proceedings have been started as aforesaid by the Vice-Chancellor and the case in his opinion—

(*a*) is not such as may call for punishment by dismissal, removal, stoppage of increment, or reduction in emoluments he may pass such orders as he deems fit;

(*b*) is such as may call for a punishment as aforesaid, he shall hold an enquiry jointly with two other persons, appointed in the manner to be prescribed in the statutes, one of whom is or has been Judge of a High Court.

(6) In any case in which enquiry has been held under clause (*b*) of sub-section (5), the Vice-Chancellor shall, upon conclusion of the enquiry, submit the report to the Executive Council. If there is a difference of opinion among the Vice-Chancellor and the prersons jointly holding the enquiry with him under clause (b) of sub-section (5) regarding the recommendation to be made in the report, the recommendation shall be expressed in terms of the views of the majority. The Executive Council shall thereupon pass orders according tothe recommendations made in the report unless it differs therefrom in which case it shall refer the matter to the Chancellor with its recommendation and the Chancellor may then make such order as he deems just and proper. [An order passed by the Chancellor under this sub-section shall not be subject to arbitration under section 47.]

(7) In any emergency which, in the opinion of the Vice-Chancellor, requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity, report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter but nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorized and provided for in the budget.

(8) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (5) (*a*) or (7) affects any person in the service of the University to his disadvantage such persons may prefer an appeal to the Executive Council within fifteen days from the date on which the action is communicated to him.

(9) Subject as aforesaid, the Vice-Chancellor shall give effect of the orders of the Executive Council regarding the appointment, suspension and dismissal of officers and teachers of the University.

(10) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances."

११—मूल अधिनियम की धारा १३ में उपधारा (1) से (5) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा १३ का संशोधन।

"The Treasurer. 13. (1) The Treasurer shall be appointed by the Chancellor in the manner hereinafter appearing—

(*a*) The Executive Council shall, so far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of Treasurer and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the name or names of not more than three persons suitable to hold the office of Treasurer.

(*b*) Where the name or names proposed in the Executive Council for submission to the Chancellor under sub-section (1-*a*) do not exceed three in number, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall, out of the names so proposed, elect three names according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(*c*) Where one name only has been submitted by the Executive Council the Chancellor shall appoint the person whose name has been so submitted. In other cases, the Chancellor shall appoint one of the persons whose names have been submitted by the Executive Council under sub-section (1-*b*).

(2) The term of office of the Treasurer shall be six years, but he shall notwithstanding the expiry of the term, continue in office until a successor has been appointed. He shall receive such remuneration (if any) from the funds of the University as may be prescribed by the Statutes.

(3) The provisions relating to resignation, conditions of service, other than emoluments, the filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties contained in sub-sections (2), (3), (8) and (9) of section 11 shall *mutatis mutandis* apply to the office of Treasurer.

(4) The Treasurer shall be an *ex-officio* member of the Executive Council and shall manage the property and investments of the University and advise in regard to its financial policy. He shall be responsible for the presentation of the annual estimates (in this Act called the budget) and statement of accounts.

(5) The Treasurer shall have the duty—

(i) to ensure that no expenditure not authorised in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of investment), and

(ii) to disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statutute or Ordinance, or for which provision is required to be made by Statutes or Ordinances but has not been so made."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा १४ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Registrar. 14. (1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) an educationist nominated by the Chancellor; and

(iii) the Chairman of the Public Service Commission, Uttar Pradesh, or a member thereof nominated in this behalf by the Chairman.

(2) The emoluments of the Registrar shall be prescribed by the Ordinances.

(3) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the Common Seal of the University. He shall be *ex-officio* Secretary of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, the Selection Committees and the Committee of Reference and shall be bound to place before these authorities all such information as may be necessary for the transaction of business. He shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(4) He shall conduct the examinations and make all other arrangements necessary therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save such as may be provided for by the Statutes and the Ordinanances."

१३--मूल अधिनियम की धारा १६ में : यू पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा १६ का संशोधन।

(१) मद V के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"V. The Boards of Faculties."

(२) निम्नलिखित मद VI के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"VI. Selection Committees for the appointment of teachers."

१४--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-- यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा १७ का संशोधन।

"The court 17. (1) The Court shall consist of the following persons, namely :

Class I—Ex-officio members :

(i) the Chancellor,

(ii) the Vice-Chancellor,

(iii) the Minister for Education in the Government of Uttar Pradesh,

(iv) the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad,

(v) the Treasurer,

(vi) The Director of Education,

(vii) the members of the Executive Council,

(viii) all Principals of Colleges and Associated Colleges,

(ix) all Heads of Departments of teaching in the University and all Professors of the University who are not Heads of Departments,

(x) such other persons with reference to offices held by them as may be prescribed by the Statutes.

Class II—Life members :

(xi) Such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent service to the cause of education provided that their number shall at no time be more than four.

(xii) All individuals who have made donations of not less than Rs. 20,000 to or for the purposes of the University.

Class III—Other members :

(xiii) persons [nominated by the State Government] to represent such academic and non-academi bodies and interests as may be prescribed in this behalf by the Statutes,

(xiv) persons nominated by associations, individuals or bodies of individuals making to the University donations or annual contributions of an amount to be prescribed by the Statutes,

(xv) two members of the Legislative Council of the State to be elected by it,

(xvi) five members of the Legislative Assembly of the State to be elected by it,

[xvii) representatives of the Registered Graduates to be elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote by the Registered Graduates from among such Registered Graduates as are not in the service of the University, a college, a hostel or an Associated College and whose names have been on the Register of Graduates for at least three years,]

(xvii) Representatives of the registered graduates to be elected, according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, by the registered graduates of such standing as may be prescribed by the Statutes from among such registered graduates as are not in the service of the University, a College, an Associated College or a Hostel and whose names have been on the register of graduates for three years or if the Statutes prescribe a longer period, for such period,

(xviii) representatives of donors other than those included in items (xii) and (xiv),

(xix) representatives of teachers of the University (other than teachers included in Class I), the Wardens, the Delegacy and of such Boards established under section 27 as may be prescribed by the Statutes,

(xx) not more than seven persons to be appointed by the Chancellor, one of whom shall be a member of the Management of an Associated College.

(2) The total number of members including the *ex-Officio* but excluding the life members shall not exceed 125.

(3) The number of members who may be in the service of the University, an Associated Collge, a College or a Hostel shall not exceed the number of the other members.

(4) The number of members referred to in items (xiii) to (xx) of sub-section (1), the manner of their appointment election and nomination and their tenure shall, save as otherwise provided in this section, be prescribed by the Statutes.

(5) The Court may declare vacant the seat of a member other than an *ex-officio* or life member, who has absented himself from three consecutive meetings of the Court without sufficient cause."

१५—मूल अधिनियम की धारा १९ में :— यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा १९ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में शब्द"the acts of the Executive and Academic Councils (save when such councils have acted in accordance with the powers conferred upon them under this-Act, the Statutes or the Ordinances)"के स्थान पर शब्द "such acts of the Executive and Academic Councils as are not in accordance with this Act, the Statutes, or the Ordinances" रखे जांय

(२) उपधारा (2) में निम्नलिखित खंड (e) के रूप में रख दिया जाय यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा २० का संशोधन।

"(*e*) of considering and passing resolutions on any matter of general policy relating to University education and administration."

१६—मूल अधिनियम की धार २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

'20. (1) The Executive Council shal be the executive body of the University and shall consist of :

(i) the Vice-Chancellor:;
(ii) the Treasurer ;
(iii) all Deans of Faculties ;
(iv) one Principal of a College or an Associated College, taking office by rotation according to seniority ;
(v) the Dean of Student Welfare;
(vi) one representative of the Wardens and the Delegacy ;
(vii) two teachers of the University ;
(viii) [five persons to be elected by such members of the Court as are not in the service of the University, a College or an Associated College, from among themselves according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote;]

five persons to be elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote by the Court from among such members as are not in the service of the University, a College, an Associated College or a Hostel;

(ix) persons less in number by one than the Deans of Faculties to be nominated by the Chancellor.

(2) The manner of selection of the members under items (vi) and (vii) of sub-section (1) shall be prescribed by the Statutes.

(3) The term of office of members other than *ex-officio* members shall be three years."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा २१ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Powers and duties of the Executive Council."

21. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Executive Council shall have the following powers and duties, namely—

(*a*) to hold and control the property and funds of the University and issue any general directives in that behalf ;

(*b*) to accept the transfer of any moveable or immoveable property on behalf of the University;

(*c*) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;

(*d*) to prepare the budget of the University;

(*e*) to award fellowships, scholarships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances;

(*f*) to appoint the officers, teachers and other servants of the University, to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of casual vacancies in their posts ;

(*g*) to appoint examiners and to direct the holding of examinations and publication of results ;

(*h*) to arrange for and direct the inspection of Associated Colleges, Colleges, Hostels and other places of residence of students;

(*i*) to direct the form and use of the Common Seal of the University ;

(*j*) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances, and to exercise such other powers as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

(2) The Executive Council shall appoint a committee (hereinafter called the Finance Commitee) consisting of the Treasurer and four other persons from amongst its members out of whom not more than two shall be persons in the service of the University, to advise the Executive Council on matters relating to the administration of the property and funds of the University. The

Treasurer shall be the chairman of the Finance Committee.

(3) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the Committee of Reference.

(4) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers and the fees payable to examiners except after considering the advice of the Academic Council and the Faculties concerned.

(5) The Executive Council shall give due consideration to the resolutions of the Court and take such action thereon as it shall deem fit and report it to the Court. Where, in any case, the Executive Council is unable to take action in accordance with any resolution it shall inform the Court of its reasons therefor.

(6) The Executive Council may subject to conditions to be laid down in the Statutes delegate such of its powers as it deems fit to an officer or Authority of the University."

१८--(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २२ को उपधारा (१) के रूप में संख्यांतरित किया जाय और अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा २२ का संशोधन।

"Provided that the number of members of the Academic Council shall not exceed fifty;"

(२) मूल अधिनियम की उक्त धारा में निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(2) There shall be a Standing Committee of the Academic Council. The constitution, powers and functions of the Committee shall be prescribed by the Statutes."

"Standing Committee of the Academic Council.

१९--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २३ का संशोधन।

"The Committee of Reference.

23. (1) The Committee of Reference shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor ;

(ii) the Treasurer;

[(iii) three members of the Court, none of whom shall be an employee of the University, a College, an Associated College or a Hostel or a member of the Executive Council, to be elected by the Court according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote;]

(iii) three members of the Court, not being members of the Executive Council, to be elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, of whom one shall be a teacher of the University and the other two shall be persons not in the service of the University, a College, an Associated College or a Hostel;

(iv) two persons to be nominated by the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman and the Registrar shall be the Secretary of the Committee.

(3) The Committee of Reference shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year, and shall perform such other functions as may be prescribed by this Act or the Statutes.

(4) The Committee of Reference may, for any special reason, revise, during the financial year, the limits of expenditure fixed by it under sub-section (3)."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा २४ का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Faculties. 24. (1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall comprise such Departments of teaching as may be prescribed by the Statutes. Subjects of study shall be assigned to various Departments by the Ordinances.

(3) There shall be a Board of each Faculty the constitution and powers of which shall be prescribed by the Statutes.

(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be the Head of a Department of teaching in the Faculty chosen with due regard to seniority in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes.

(5) The Dean shall be the Chairman of the Board of the Faculty and be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty. He shall be further responsible for the organization and conduct of the teaching and research work of the Departments comprised in the Faculty.

(6) There shall be a Head in each Department of teaching who shall be responsible to the Dean for the organization of the teaching in the Department. The senior-most Professor of a Department shall be the Head of the Department, and where there is no Professor in a Department the senior most Reader thereof shall be the Head.

(7) The duties, powers and functions of the Heads of Departments shall be prescribed by the Ordinances.

(8) There shall be established Committees of Courses and Studies each in respect of one or more subjects of study. The constitution of the Committees shall be prescribed by the Ordinances."

२१--मूल अधिनियम की धारा २७ की उपधारा (1) में शब्द "a Residence, Health and Discipline Board, a muslim Advisory Board and such other" **के स्थान पर शब्द** "such" **रख दिया जाय ।**

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१, की धारा २७ का संशोधन ।

२२--मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा २८ के रूप में रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१, में एक नई धारा का बढ़ाया जाना ।

Manner of appointment of officers and members of Authorities.

28. (1) Save where expressly provided to the contrary, officers and members of the authorities of the University shall, as far as may be, chosen by methods other than election.

(2) Where provision is made in this Act for an election, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and where such provision is made in a Statute it shall be held in the manner prescribed by the Statutes.

(3) Where provision is made in this Act or the Statutes for any appointment by rotation or according to seniority or other qualification, the manner of rotation and determination of seniority and other qualification shall be prescribed by the Statutes."

२३--मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

Teachers.

29. (1) Subject to the provisions of this Act, and except as provided in sub-section (3), the teachers of the University and the Associated Colleges shall be appointed by the Executive Council or the Management of the Associated College, as the case may be, on the recommendation of the Selection Committee in such manner as may be prescribed by the Statutes.

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा २६ का संशोधन ।

(2) Every teacher appointed under sub-section (1) shall, in the first instance, be on probation for such period as may be prescribed by the Statutes and he shall not be confirmed ;

(*a*) if he is a teacher of the University except by the order of the Executive Council after considering the reports of the Vice-Chancellor and the Head of the Department and the Dean concerned, and

(*b*) if he is a teacher of an Associated College, except by the order of the Management after considering the reports of the senior teacher of the subject and the Principal of the College.

(3) The Executive Council or the Management, as the case may be, may make officiating appointments in a vacancy caused by the grant of leve to an incumbent for a period not exceeding ten months without reference to the Selection Committee but shall not fill any other vacancy or post likely to last for more than six months without such reference.

(4) Principals and teachers other than teachers referred to in sub-section (1) shall be appointed by the authorities and in the manner to be prescribed by the Statutes.

(5) There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study. The constitution, powers and functions of the Selection Committees and the procedure to be followed in making appointments shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ३० का संशोधन

२४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Statutes.

30. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provide for the following—

(*a*) the constitution powers and duties of the Authorities and Boards of the University ;

(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities and Boards of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities and Boards for which it may be necessary or desirable to provide ;

(*c*) the institution and maintenance of colleges and hostels ;

(*d*) the designation, manner of recruitment, powers and duties of the officers of the University ;

(*e*) the classification and the manner of recruitment of teachers ;

(*f*) the constitution of a provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University ;

(*g*) the institution of degrees and diplomas ;

(*h*) the conferment of honorary degrees ;

(*i*) the withdrawal of degrees, diplomas and other academic distinctions ;

(*j*) the conditions on which an institution may be granted recognition as an Associated College and be liable to the withdrawal of such recognition ;

(*k*) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties ;

(*l*) the establishment of departments of teaching in the Faculties ;

(*m*) the maintenance of a Register of Registered Graduates ;

(*n*) the holding of Convocation ;

(*o*) the institution of fellowships, scholarships, bursaries, medals and prizes ; and

(*p*) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

२५--मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (4) में शब्द "Court" और "it" के बीच में के शब्द "returned thereto " निकाल दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ३१ का संशोधन ।

२६--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ३२ का संशोधन ।

Ordinances

32. (1) Subject to the provisions of thisAct and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(*a*) the admission of students to the University and their enrolment and continuance as such ;

(*b*) the courses of study to be laid down for all degrees and diplomas of the University ;

(*c*) the conditions under which students shall be admitted to the degree, diploma, or other courses and to the examinations of the University, and shall be eligible for the award of degrees and diplomas ;

(*d*) the conditions of residence of the students of the University and the levying of fees for residence in Colleges and Hostels maintained by the University ;

(*e*) the recognition of colleges and hostels not maintained by the University ;

(*f*) the number, qualifications, emoluments and other conditions of service (including the age of retirement) of teachers and salaried officers of the University, and the preparation and maintenance of record of their service and activities ;

(*g*) the fees which may be charged by the University for any purpose ;

(*h*) the conditions subject to which persons may be recognized as qualified to give instruction in colleges and hostels ;

(*i*) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators ;

(*j*) the conduct of examination ;

(*k*) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to persons employed on the business of the University ;

(*l*) the condition of the award of fellowships, scholarships, studentships, bursaries, medals and prizes ;

(*m*) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ३३ का संशोधन ।

२७—मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (1) में निम्नलिखित नया खंड (*e*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*e*) affecting the income or expenditure of the University unless a draft of such ordinance has been submitted to the State Government and the State Government does not object."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ३४ का संशोधन ।

२७—क—मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (३) के अन्त में प्रतिबन्धात्मक खंड (प्रोवाइज़ो) के पूर्व निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"by any authority of the University other than the Court."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ३४ का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (4) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for courses of study for the various examinations and degrees of the University after receiving drafts of the same from the Board of the Faculty concerned.

The Academic Council may not alter a draft received from the Board of Faculty but may reject the draft received or return it to the Board of Faculty for further consideration together with its own suggestions."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ३६ का संशोधन।

२९—मूल अधिनियम की धारा ३६ में :—

(१) उपधारा (३) में शब्द "any member of the Residence, Health and Discipline Board, authorised in this behalf by the Board or by any authority or Officer of the University authorised in this behalf by the Executive Council" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"such persons as may be authorised in that behalf by the Statutes or the Executive Council."

(२) उपधारा (4) में शब्द "Management" के पहले आये हुए शब्द "Committee of" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, में दो नई धाराओं का बढ़ाया जाना।

३०—मूल अधिनियम की धारा ३६ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें 36-A और 36-B के रूप में बढ़ा दी जायं—

"Associated Colleges.

36-A. (1) Associated Colleges shall be such as may be named by the Statutes and shall not exceed four in number.

(2) It shall be lawful for an Associated College to make arrangements with any other Associated College or Colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.

(3) The conditions of recognition of an Associated College shall be such as may be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council, but no Associated College shall be authorized to impart instruction for post-graduate degrees.

(4) Except as provided by this Act, the management of an Associated College shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such College shall be responsible for the due maintenance of discipline in it.

(5) An Associated College shall be inspected at intervals of not more than three years in the manner prescribed by the Statutes and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(6) The recognition of an Associated College may, with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn by the Executive Council if it is satisfied, after considering any explanation furnished by the Management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defects in its work pointed out by the Executive Council."

"36-B. There shall be a Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any college or hostel. The constitution, powers and duties of the Delegacy shall be prescribed by the Statutes."

The Delegacy

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ३७ का संशोधन।

३१––मूल अधिनियम की धारा ३७ में उपधारायें (२) और (३) निकाल दी जायं और निम्नलिखित नई उपधारायें (४) और (५) के रूप में बढ़ा दी जायं––

"(4) Any student whose work is unsatisfactory may be removed from the University or an Associated College in accordance with the provisions of the Ordinances.

(5) The University shall not, save with the previous sanction of the Chancellor recognize for the purpose of admission to a course of study for a degree, any degree conferred by any other University or as equivalent to the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, any examination conducted by any other authority."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ३८ का संशोधन।

३२––मूल अधिनियम की धारा ३८ में––

(१) उपधारा (1) के अन्त में शब्द "in the manner prescribed by the Statutes" बढ़ा दिये जायं।

(२) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

"(3) At least one person not employed in the University, an Associated College, or a College shall be appointed examiner for each subject prescribed for a degree."

(३) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(4) The Board of each Faculty shall appoint an Examination Committee for every subject assigned to the Faculty. The Committee shall consist of such persons as the Board may, subject to the approval of the Academic Council, appoint from among its own members or from outside. The Committee shall have power to moderate question papers set for examinations, review the quality of the work submitted by candidates for examination, report on the standard of attainment and make recommendations in regard to any of these matters. Any review, report or recommendation made by the Committee shall be laid before the Academic Council for its consideration."

(४) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (5) के रूप में रख दिया जाय--

"(5) Every person appointed as examiner shall, as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

३३--मूल अधिनियम की धारा ३९ में शब्द "to the Executive Council" के पश्चात् आने वाले निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं-- यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ३९ का संशोधन।

"which shall take such action as it thinks fit and the Executive Council shall inform the Court of the action taken by it and, where no action is taken, of its reasons therefor."

३४--मूल अधिनियम की धारा ४० में-- यू० पी ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ४० का संशोधन।

(१) उपधारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council, and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(1-A) A copy of the accounts and the balance sheet shall be submitted to the State Government which shall cause an audit to be carried out by auditors of high standing.

(2) The accounts when audited shall be printed and copies thereof shall together with copies of the audit report be submitted by the Executive Council to the Court and the State Government.".

(२) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (2—A) के रूप में रख दिया जाय--

"(2-A) It shall be lawful for the State Government to require any person who is found to have spent or authorized the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget or in violation of any provision of this Act, the Statutes or the Ordinances, to reimburse the amount so spent and the State Government may take all such steps as may be deemed necessary :

Provided that the State Government shall before requiring any person as aforesaid give him a reasonable opportunity of making a representation."

(३) उपधारा (6) में शब्द "Executive Council" के पश्चात् आने वाले निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं--

"which shall take them into consideration, and take such action thereon as it thinks fit, or inform the Court, when no action is taken, of its reasons therefor."

(४) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (7) के रूप में रख दिया जाय--

"(7) Except in so far as such expenditure is incurred out of funds accruing under clause (*c*) of sub-section (1) of Section 21, it shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure not sanctioned in the Budget."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ४२ का संशोधन।

३५--मूल अधिनियम की धारा ४२ में शब्द "body of the University और शब्द "the matter" के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय--

"or whether any decision of the University or any Authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes and the Ordinances"

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ४४ का संशोधन।

३६--मूल अधिनियम की धारा ४४ में निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा को उपधारा (1) के रूप में पुनः परिगणित कर दिया जाय--

"(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside, shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

३७--मूल अधिनियम की धारा ४५ में शब्द "members" के पश्चात् निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ४५ का संशोधन।

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so"

३८--मूल अधिनियम की धारा ४७ में शब्द "Indian Arbitration Act, 1899" के स्थान पर शब्द "Arbitration Act, 1940 (Act X, 1940)" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१, की धारा ४७ का संशोधन।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

३९--मूल अधिनियम, परिनियमों (Statutes) या अध्यादेशों (Ordinances) में किसी बात के होते हुये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संशोधन अधिनियम, १९५४ (जिसे यहां पर आगे चल कर "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदासीन अथा संगठित किसी निर्वाचित अधिकारी अथवा प्राधिकारी का कार्यकाल इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तदनुरूप (corresponding) अधिकारी अथवा प्राधिकारी के नियुक्त, निर्वाचित अथवा संगठित किये जाने पर समाप्त हो जायगा।

४०--मूल अधिनियम अथवा संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी संशोधन अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् चांसलर किसी भी समय किसी व्यक्ति को वाइस-चांसलर नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति के लिये धारा ११ में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा। इस प्रकार नियुक्त वाइस-चांसलर संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन वाइस-चांसलर के सभी अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगा और एक वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। परन्तु यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो चांसलर अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है।

[४१--सरकारी गजट में संशोधन अधिनियम के प्रथम प्रकाशन के बाद राज्य सरकार के लिये किसी भी समय यह वैध होगा कि वह--

(१) सामान्यतः निम्नलिखित के लिये कोई भी कार्य करे, जिसके अन्तर्गत परिनियमों (Statutes) का बनाना भी होगा :

(क) संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार यूनिवर्सिटी के प्राधिकारियों का विधिवत् संघठन कराना;

(ख) संशोधित अधिनियमों में निर्दिष्ट उपबन्ध के न होने की दशा में, उक्त प्राधिकारियों के अधिकारों और कृत्यों (powers and functions) को विनिश्चित अथवा पुनः विनिश्चित करना; और

(२) उक्त परिनियमों के प्रचलित होने के लिये दिनांक को निश्चित करे।

इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये परिनियम (Statutes) उस समय तक प्रचलित रहेंगे, जब तक कि संशोधत अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन, कोई बात या कोई कार्य करके उन्हें अधिक्रांत (Supersede) न कर दिया जाय।]

४१—(१) इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये वैध होगा कि वह इस सम्बन्ध में ऐसा कोई भी कार्य करे जो इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों को सप्रभाव बनाने के लिये सामान्यतः आवश्यक हो जिसके अन्तर्गत यूनिवर्सिटी के प्राधिकारियों का संगठन, किसी नये परिनियम (Statute) का बनाना या किसी परिनियम का संशोधन और ऐसे परिनियमों या संशोधनों के प्रचलित होने के दिनांक का नियत किया जाना भी है।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी परिनियम या संशोधन का वही बल और प्रभाव होगा जैसा कि मूल अधिनियम की धारा ३१ के अनुसार और उसके अधीन निर्मित परिनियम (Statute) या संशोधन का हो।

(३) उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग जब जब आवश्यकता पड़े किया जा सकता है पर इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन से अट्ठारह महीने के पश्चात् उपयोग नहीं किया जा सकता।

४२—(१) राज्य सरकार मूल अधिनियम के उपबन्धों से संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रति विशेषकर संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) आदेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित उक्त मूल अधिनियम उस कालावधि में जिसे आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय, परिष्कार (Modification), परिवर्धन अथवा लोप (Omission) के रूप में किये गये ऐसे अनुकूलनों के अधीन जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझें, प्रभावशील होगा; या

(ख) आदेश दे सकती है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर उस समय तक जब तक कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम के अधीन और अनुसार यूनिवर्सिटी प्राधिकारी संगठित अथवा नियुक्त न किये जायं, यूनिवर्सिटी के ऐसे प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार अथवा सम्पादित किये जाने वाले कर्तव्य और कृत्य संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व के दिनांक पर स्थापित तदनुरूप प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जायंगे; या

(ग) आदेश दे सकती है कि संशोधित अधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रचलित कोई परिनियम (Statute), अध्यादेश (Ordinance) या विनियम (Regulation) ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों, परिवर्धनों और लोपों (Omissions) के अधीन, जैसा कि वह उचित और आवश्यक समझे, उस समय तक आगे भी प्रचलित रहेंगे, जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई बात या कार्य करके उसे अधिक्रान्त न कर लिया जाय, या

(घ) ऐसी कोई कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बारह मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा न दी जायगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आक्षेप नहीं किया जायेगा कि उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करने की आवश्यकता नहीं थी।

उद्देश्य और कारण

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट आज से ३२ वर्ष पूर्व सन् १९२१ ई० में बना था। इस राज्य के विश्वविद्यालयों में सुधार का प्रश्न सन् १९३८ से ही शासन के विचाराधीन रहा है जब कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी। तब से इस समस्या पर भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (इंडियन यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन) द्वारा तथा इस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भी विचार किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली की त्रुटियों पर विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त "जांच समिति" ने, जिसके अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस श्री ओ० एच० मूयम थे, पूरी तौर पर जांच की है। प्रस्तुत विधेयक में विभिन्न समितियों एवं अधिकरणों की सिफारिशों के आधार पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधान और कार्य प्रणाली को उन्नत करने का प्रयास किया गया है।

अतः यह विधेयक सदन के विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १७ पर)

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा संशोधित हुआ ।)

(विधान परिषद द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों '[ ]" में तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है ।)

नगर के निर्माण और विकास एवं वहां विस्थापितों को बसाने के प्रयोजन से तथा तत्संबंधी अन्य विषयों के लिये, जिला मेरठ के हस्तिनापुर में नगर विकास मंडल की स्थापना के निमित्त

विधेयक ।

यह आवश्यक है कि नगर के निर्माण और विकास एवं वहां विस्थापितों को बसाने के प्रयोजन से तथा तत्संबंधी अन्य विषयों के लिये जिला मेरठ के हस्तिनापुर में नगर विकास मंडल की स्थापना की व्यवस्था की जाय ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के पांचवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है --

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रारम्भ और कालावधि ।

१--(१) यह अधिनियम हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४ कहलायेगा ।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार इस संबंध में सरकारी गजट में विज्ञापित करे ।

यू० पी० ऐक्ट १, १९०४ ।

(३) यह दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५९, को समाप्ति पर उक्त दिनांक से पूर्व कृत अथवा अकृत विषयों (things done or omitted to be done) को छोड़ कर प्रचलित न रहेगा, तथा इस अधिनियम की समाप्ति पर यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट की धारा ६ इसपर इस प्रकार प्रवृत्त होगी, मानो यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम (U. P. Act) द्वारा निरस्त (repeal) हुआ हो ।

परिभाषाएं

२--इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल कोई बात न होने पर--

(क) "प्रशासक" (administrator) का तात्पर्य धारा १० के अधीन नियुक्त बोर्ड के प्रशासक से है ;

(ख) "मंडल" (Board) का तात्पर्य धारा ३ के अधीन संगठित हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (Hastinapur Town Development Board) से है ;

(ग) "केंद्रीय सरकार" (Central Government) का तात्पर्य भारत सरकार से है ;

(घ) "अध्यक्ष" (Chairman) का तात्पर्य मंडल के अध्यक्ष से है ;

(ङ) "विस्थापित व्यक्ति" (displaced person) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो भारत तथा पाकिस्तान के डोमीनियन बनने के कारण अथवा किसी ऐसे क्षेत्र में जो अब पाकिस्तान का अंश है नागरिक दंगे होने के, अथवा दंगे के भय के कारण उक्त क्षेत्र से विस्थापित हो गया है अथवा जिसने वहां अपना निवास स्थान छोड़ दिया है और जो तत्पश्चात भारत के किसी भी भाग में रह रहा है ;

(च) "सदस्य" (member) का तात्पर्य मंडल के सदस्य से है तथा इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है ;

(छ) 'नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(झ) "नगर" (Township) का तात्पर्य हस्तिनापुर में अथवा हस्तिनापुर के पास मंडल द्वारा निर्मित और विकसित होने वाले नगर से है।

अध्याय २

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल का अधिष्ठान और निगमन (Establishment, and incorporation.)

३--(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, जिला मेरठ के हस्तिनापुर में नगर निर्मित और विकसित करने के लिये वहां विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये और इस अधिनियम द्वारा अथवा अधीन अथवा अन्य किसी विधि के अधीन मंडल को प्रदत्त अथवा अभ्यर्पित किये जाने वाले अधिकारों के प्रयोग अथवा कृत्यों के सम्पादन (discharge) के निमित्त हस्तिनापुर नगर विकास मंडल नामक मंडल संगठित कर सकती है।

(२) मंडल सतत् अनुक्रम वाली (having perpetual succession) उक्त नाम की निगमित संस्था (body corporate) होगी जिसकी कि एक सामान्य मुद्रा (common seal) होगी और जिसे इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन चल अथवा अचल सम्पत्ति, उपार्जित, अधिकृत अथवा हस्तांरित करने का अधिकार होगा तथा वह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

मंडल का संगठन

४--(१) मंडल के निम्न लिखित सदस्य होंगे :

(क) अध्यक्ष, जिनकी नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात् की जायगी ;

(ख) केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् की जायगी;

(ग) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दों व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त सदस्यों के नाम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे, और प्रत्येक नियुक्ति उसके प्रकाशन के दिनांक से सप्रभाव होगी।

सदस्यों के पद के प्रतिबन्ध तथा शर्तें।

५—(१) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन ऐसा होगा जो नियत किया जाय;

(२) अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित करते हुये अपने लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकता है किन्तु उसका त्याग पत्र उसी दिनांक से सप्रभाव होगा जब उसकी स्वीकृति सरकारी गजट में विज्ञापित की जाय;

(३) प्रत्येक सदस्य राज्य सरकार की इच्छा के अधीन पदासीन रहेगा,

(४) उपधारा (२) के अधीन त्याग पत्र के कारण होने वाली अथवा अन्य किसी कारण वश होने वाली आकस्मिक रिक्त धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार नवीन नियुक्ति द्वारा पूर्ण की जायगी। आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये नियुक्ति सदस्य अपने पूर्वगामी के अवशिष्ठ कार्यकाल तक पदासीन रहेगा।

मंडल की समतियां

६—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये मंडल समय-समय पर एक या एक से अधिक समितियां, जिनमें वे व्यक्ति होंगे जिन्हें वह उपयुक्त समझे, नियुक्त कर सकता है।

(२) मंडल—

(क) ऐसी समिति के पास इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी से सम्बद्ध विषय को जांच और रिपोर्ट करने के लिये अभिदिष्ट कर सकता है।

(ख) विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा एवं इस संबंध में बने हुये नियमों के अधीन ऐसी समिति को अपने ऐसे अधिकारों और कर्त्तव्यों को प्रतिनिधानित (delegate) कर सकता है जिनका संबंध ऐसे विषय से हो जिसके लिये उक्त समिति नियुक्त की गयी हो।

(३) मंडल किसी भी समय किसी भी ऐसी समिति के संगठन को प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित कर सकता है या उसे विघटित (disolve) कर सकता है

(४) प्रत्येक समिति मंडल से मिले निर्देशों का पालन करेगी तथा प्रत्येक ऐसी समिति का अंतिम निर्णय जब तक कोई नियम प्रतिकूल न हो मंडल के समक्ष पुष्टीकरण (confirmation) के निमित्त प्रस्तुत किया जायगा।

सदस्यों की रिक्तियां अथवा संगठन में दोषों के कारण मंडल अथवा समिति के कार्य अथवा कार्यवाहियों का अवैध न होना।

७—मंडल अथवा इसकी किसी भी समिति का कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही केवल इस कारण अवैध न होगी कि उसके सदस्यों का कोई स्थान रिक्त था अथवा उसके संगठन में दोष था।

मंडल की बैठकें।

८—(१) मंडल ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और इस धारा के उपबन्धों के अधीन ऐसी बैठकों में अपने काम को सम्पन्न करने के लिये प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो नियत किये जायं;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष जब भी उचित समझे विशेष बैठक आमंत्रित कर सकता है और कम से कम दो सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर तो अवश्य ही ऐसा करेगा ।

(२) मंडल की बैठक में कार्यवाही को सम्पन्न करने के लिये सदस्यों की आवश्यक इयत्ता (गणपूर्ति) (quorum) तीन होगी।

(३) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना हुआ कोई सदस्य मंडल की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(४) मंडल की बैठक में सभी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णीत होंगे, और मतों की संख्या समान होने पर अध्यक्ष का अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय अथवा निर्णायक मत (casting vote) होगा ।

(५) प्रत्येक बैठक का विवरण (उपस्थित सदस्यों की नामावली सहित) एक पुस्तिका में, जो इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध होगी, अभिलिखित किया जायगा तथा अनुगामी बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा और तत्पश्चात् प्रत्येक सदस्य को वितरित किया जायगा, और सभी उपयुक्त समय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिये निःशुल्क उपलब्ध होगा ।

मंडल के अधिकारी तथा सेवक ।

९—इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अधीन मंडल ऐसे अधिकारियों अथवा सेवकों को सेवा के ऐसे प्रतिबन्धों तथा और शर्तों पर जिसे वह उचित समझे नियुक्त कर सकता है, जो उसके कृत्यों के सुदक्ष संपादन के लिये उसके विचार में आवश्यक हों ।

मंडल का प्रशासक

१०—(१) मंडल का एक प्रशासक होगा जिसे राज्य सरकार नियत प्रतिबन्धों और शर्तों पर केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त करेगी ।

(२) प्रशासक मंडल का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (principal executive officer) होगा तथा मंडल के सभी दूसरे अधिकारी और सेवक उसके अधीनस्थ होंगे ।

(३) प्रशासक पदेन (ex-officio) मंडल का सचिव होगा और उसे मंडल की अथवा मंडल की समितियों की सभी बैठकों में बोलने अथवा अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे वहां मत देने का अधिकार न होगा ।

अन्य व्यक्तियों का मंडल से अस्थायी सम्बन्ध ।

११—मंडल किसी व्यक्ति को जिसकी, सहायता अथवा परामर्श वह इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिये चाहे, नियत की जाने वाली रीति से और नियत किये जाने वाले प्रयोजनों के निमित्त अपने से सम्बद्ध (associate) कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों को प्रयोजनों से संगत मामलों में मंडल के वार्तालाप में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु मत देने का अधिकार न होगा ।

अध्याय ३

मंडल के कृत्य और अधिकार

मंडल के कार्यक्षेत्र की आयति ।

१२—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके नगर की क्षेत्रीय सीमाएं निर्दिष्ट कर सकती है और ऐसी ही विज्ञप्ति द्वारा ऐसी सीमाओं की वृद्धि कर सकती है अथवा उनमें परिवर्तन कर सकती है तथा इस प्रकार समय विशेष पर निर्दिष्ट क्षेत्र, कार्य-क्षेत्र (areas of operation) कहलायेगा ।

(२) मंडल अपने कृत्यों अथवा अधिकारों में से सभी अथवा किसी को कार्य क्षेत्र में सम्पादित अथवा प्रयुक्त करेगा।

मंडल के सामान्य कृत्य।

१३—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मंडल को निम्नलिखित अधिकार होंगे—

(क) वह ऐसी चल अथवा अचल सम्पति उपार्जित कर सकता है और अपने अधिकार में रख सकता है जिसे वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के सुदक्ष (efficient) सम्पादन के लिये आवश्यक समझे तथा वह किसी ऐसी सम्पति को बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है अथवा अन्य किसी रीति से हस्तान्तरित कर सकता है;

(ख) किसी भी व्यापार व्यवसाय, अथवा उद्योग (trade, business or Jindustry) को उन्नत कर सकता है अथवा परिचालित कर सकता है ;

(ग) आवासिक अथवा अन्य इमारत निर्मित कर सकता है अथवा करवा सकता है ;

(घ) नियत किये जाने वाले प्रतिबन्ध और शर्तों पर [विस्थापित व्यक्तियों (displaced persons)] विस्थापित व्यक्ति (displaced person) तथा किसी अन्य व्यक्ति को मंडल के अधिकार की कोई भी इमारत अथवा स्थल बेच सकता है, पट्टे पर उठा सकता है अथवा किराये पर दे सकता है;

(ङ) नालियों, पटी हुई नालियों (sewers), जल वितरण, अथवा सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था कर सकता है;

(च) सार्वजानिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, समाज कल्याण के उत्थान के निमित्त उपाय कर सकता है;

(छ) जल के वितरण (water supply) और निष्कासन (drainage) एवं सिंचन की योजनाओं को उन्नत तथा कार्यान्वित कर सकता है;

(ज) समय विशेष पर प्रचलित विद्युत शक्ति के वितरण एवं प्रयोग से सम्बद्ध किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन, विद्युत शक्ति के संक्रमण (transmission) एवं वितरण की योजनाओं को उन्नत एवं कार्यान्वित कर सकता है;

(झ) इस संबंध में विधि के अनुसार वनरोपण की उन्नति एवं जल के कटाव (soil erosion) का नियंत्रण कर सकता है;

(ञ) अपने क्षेत्राधिकार में व्यक्तियों की आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थाओं को सुधारने के निमित्त ऐसी कार्यवाहियां कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे, और

(ट) अन्य ऐसे कृत्य कर सकता है जो नियत किये जायं।

मंडल को कर लगाने के अधिकार।

१४—(१) मंडल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कार्य क्षेत्र के भीतर वे सभी कर जिन्हें यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (यू० पी० ऐक्ट २ १९१६) के चैप्टर V के अधीन कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड लगाने के लिये अधिकृत है उस प्रक्रिया (procedure) के अनुसार और उन निरोधों और शर्तों के अधीन जो उसमें वर्णित हैं, लगा सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन लगाया गया कोई भी कर सरकारी गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से सप्रभाव होगा और जहां तक संभव हो उसी रीति से वसूल किया जायगा जिसकी व्यवस्था उक्त ऐक्ट के चैप्टर VI में की गयी है।

यूनाइटेडप्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, १९१६, के अधीन मंडल के अधिकार।

१५—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (य० पी ऐक्ट २, १९१६) के चैप्टर VII, VIII, IX (धारा २९७ को छोड़ कर) और X के उपबन्ध जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, यथासंभव कार्यक्षेत्र में प्रवृत्त होंगे तथा उक्त उपबन्धों में म्युनिसिपैलिटी, बोर्ड, प्रेसीडेंट, अथवा बोर्ड के किसी भी अधिकारी के लिये सभी अभिदेशों (reference) का अर्थ उसी प्रकार लगाया जायगा मानो वे नगर (township) धारा ३ के अन्तर्गत निर्मित मंडल, उसके अध्यक्ष अथवा उसके किसी भी अधिकारी के लिये, जैसी भी दशा हो, अभिदेश हों।

अध्याय ४

सम्पत्ति, वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षण

मंडल में सम्पत्ति का निहित होना।

१६—मंडल के संगठन से पूर्व किसी भी समय नगर के निर्माण एवं विकास के प्रयोजनों के निमित्त केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अथवा उपार्जित (owned or acquired) सभी चल या अचल सम्पत्ति एवं अन्य धन (assets) धारा १७ में निर्दिष्ट सम्पत्ति को छोड़कर मंडल के संगठित होने पर उन निरोधों और शर्तों के अधीन जो नियत किये जायं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त मंडल में निहित होगी।

राज्य सरकार की सम्पत्ति।

१७—धारा १६ में किसी भी बात के होते हुये भी, नगर में स्थित निम्नलिखित सम्पत्ति राज्य सरकार में निहत रहेगी और राज्य सरकार की ही बनी रहेगी, अर्थात्—

(१) अस्पताल की इमारत और उसकी सभी सामग्री,
(२) मलेरिया निरोध प्रयोगशाला की इमारत,
(३) मेडिकल आफिसर का निवासस्था,
(४) एन्टी मलेरिया आफिसर का निवासस्थानन,
(५) कम्पाउन्डरों के क्वार्टर,
(६) नर्सों अथवा वार्ड ब्वायेज के क्वार्टर,
(७) वेटेरिनरी अस्पताल
(८) निम्न-कर्मचारियों के क्वार्टर,
(९) वेटेरिनरी असिस्टेंट और कर्मचारियों के निमित्त बने क्वार्टर,
(१०) डेरी की इमारतें और डेरी सुपरिन्टेंडेट और उसके कर्मचारि-वर्ग के लिये बने क्वार्टर तथा डेयरी का ट्यूबवेल,
(११) पावर हाउस तथा असिस्टेंट इंजीनियर और कर्मचारिवर्ग के लिये बने क्वार्टर।
(१२) प्रशासन अधिकारी (ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर) का निवास-स्थान और कार्यालय की इमारत।

(१३) वहिर्गृह (out-houses), मोटरखाना, स्तबल इत्यादि सहित निरीक्षण गृह (Inspection House).

(१४) कृषि के कर्मचारिवर्ग के लिये क्वार्टर,

(१५) वन-विश्रामगृह (Forest Rest House) एवं इमारत,

(१६) पंचायत घर,

(१७) खेती के बीज गोदाम की इमारत

(१८) ग्रामीण ट्रैक्टरों का कारखाना,

(१९) सहकारी इमारतें (Co-operative Buildings)।

मंडल के संगठन से पूर्व का व्यय।

१८—धारा १७ में उल्लिखित इमारतों के निर्माण तथा रख रखाव पर व्यय अथवा राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस संबंध में निर्दिष्ट व्यय को छोड़ कर मंडल के संगठन से पूर्व इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा किया हुआ समस्त व्यय मंडल का व्यय समझा जायगा और केंद्रीय सरकार द्वारा किया हुआ समस्त व्यय धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत मंडल को दिया हुआ ऋण समझा जायगा।

मंडल की निधि।

१९—(१) मंडल की अपनी निधि (fund) होगी और समय समय पर केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी धनराशियां और अनुदान तथा मंडल की सारी आय इसी निधि में जमा की जायगी तथा मंडल के सभी व्यय इसी निधि में से किये जायेंगे।

(२) राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आदेश न होने पर इस निधि का सारा धन किसी शिड्यूल्ड बैंक में जमा किया जायगा अथवा ऐसी प्रतिभूतियों (securities) में लगाया जायगा जिनकी राज्य सरकार अनुमति दें।

मंडल का व्यय करने का अधिकार।

२०—ऐसी सीमाओं और निर्बंधों के अधीन जो नियत किये जायं मंडल को अधिकार होगा कि यह राज्य सरकार के अभिदेश (reference to) के बिना इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसी धनराशि व्यय करे जिसे वह उचित समझे और ऐसी धनराशियां मंडल की निधि से व्यय होने वाली धन-राशियां समझी जायंगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मंडल द्वारा अथवा मंडल की ओर से कोई भी धनराशि तब तक नहीं व्यय की जायगी जब तक वह राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत चालू बजट अनुदान के अन्तर्गत न हो।

ऋणों और ब्याज का भुगतान।

२१—(१) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मंडल को दिये हुये सभी ऋण, केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा, जैसी भी दशा हो, समय समय पर निश्चित दर से देय ब्याज सहित, मंडल की निधि अन्य सम्पत्ति अथवा धन पर प्रथम भार (first charge) होंगे और मंडल ऐसे ऋणों को ब्याज सहित उस रीति से और किस्तों में भुगतान करेगा जिन्हें उपयुक्त सरकार (appropriate government) अवधारित करे और प्रत्येक ऐसा भुगतान मंडल के व्यय का भाग समझा जायगा।

(२) राज्य सरकार द्वारा मंडल को दिये हुये प्रत्येक ऋण के प्रयोजनों के लिये, मंडल लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, १९१४ (ऐक्ट ९, १९१४) के अर्थ में लोकल अथारिटी समझा जायगा।

अपकर्ष, सुरक्षित तथा अन्य निधियों के लिये व्यवस्था।

२२—मंडल अपकर्ष (depreciation) तथा सुरक्षित और अन्य निधियों के लिये ऐसी व्यवस्था करेगा जिसके संबंध में राज्य सरकार समय समय पर आदेश दे।

मंडल को देय धनराशि प्रथम भार होगी।

२३—(१) उस समय पर लागू किसी विधि में किसी भी बात के होते हुये भी जब कोई इमारत अथवा स्थल बेचा जाय, किसी भी विस्थापित व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति को धारा १३ के खंड (घ) के अन्तर्गत पट्टे या किराये पर दिया जाय तो बिक्री, पट्टे अथवा किराये पर दिये जाने के कारण मंडल को देय धनराशि, उस पर पड़ने वाले ब्याज के साथ ऐसे विस्थापित व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति के, जैसी भी दशा हो, अधिकार की इमारत, मशीनरी, संग्रह (stock) तथा अन्य सम्पत्तियों पर प्रथम देय भार होगी

(२) उपधारा (१) के अधीन मंडल को देय कोई भी धनराशि मंडल द्वारा कलेक्टर को प्रार्थना पत्र दिये जाने पर मालगुजारी की बकाया (arrear of land revenue) की भांति वसूल की जा सकेगी।

बजट।

२४—मंडल प्रत्येक वर्ष ऐसे आकार में और ऐसे समय पर जो नियत किया जाय, ठीक आगे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिये उक्त वित्तीय वर्ष में होने वाली आय और व्यय के अनुमानों का बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजेगा। इस प्रकार स्वीकृत बजट मंडल द्वारा केंद्रीय सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जायगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

२५—मंडल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र ऐसे आकार में और ऐसे दिनांक से पूर्व जो नियत किया जाय वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पिछले वित्तीय-वर्ष में होने वाले सभी कार्य-कलापों (activities) का पूरा और सच्चा वर्णन होगा तथा इस रिपोर्ट की प्रतियां मंडल द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के पास भेजी जायंगी।

लेखा और लेखा-परीक्षण।

२६—(१) मंडल, ऐसी लेखा पुस्तकें तथा अपने लेखों के संबंध में अन्य पुस्तकें ऐसे आकार और रीति से रखवायेगा जो नियत किये जायं,

(२) मंडल के लेखों का लेखा परीक्षण (audit) ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसे समय और रीति से जो नियत की जाय, किया जायगा।

अध्याय ५

प्रकीर्ण

राज्य सरकार के आदेश।

२७—राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् मंडल द्वारा अनुसरणीय सामान्य आदेश (general instructions) दे सकती है और ऐसे आदेशों के अन्तर्गत मंडल द्वारा इस अधिनियम के अधीन, आदेशों में निर्दिष्ट रीति से, अधिकारों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन का आदेश हो सकेगा तथा ऐसे आदेशों से मंडल बाध्य होगा।

नक्शों, विवरणों और सूचना आदि मांगने का अधिकार

२८—(१) मंडल, ऐसे आकार में और ऐसी रीति से और ऐसे समय पर, जिसे राज्य सरकार नियत करे अथवा जिसके संबंध में राज्य सरकार आदेश दे, किसी भी प्रस्तावित अथवा वर्तमान योजना के संबंध में जिसे समय समय पर राज्य सरकार बताये, नक्शे विवरण-पत्र और ब्योरे प्रस्तुत करेगा।

(२) राज्य सरकार किसी भी समय प्रशासक को संबोधित लिखित आज्ञा देकर, मंडल, उसके किसी सदस्य, अधिकारी अथवा सेवक के कृत्यों अथवा

कार्यों के संबंध में सूचना, विवरण-पत्र, रिपोर्ट अथवा लेख्य प्रस्तुत करने को कह सकती है और प्रशासक तदनुसार बिना बिलम्ब ही ऐसी आज्ञा का अनुपालन करेगा।

मंडल के प्रस्ताव अथवा आज्ञा के निष्पादन का निषेध।

२९—(१) मंडल द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित किसी प्रस्ताव अथवा दी गयी आज्ञा के निष्पादन अथवा उसके भावी निष्पादन (execution or further execution) को लिखित आज्ञा देकर राज्य सरकार निरुद्ध (prohibit) कर सकती है, यदि राज्य सरकार की राय में ऐसा प्रस्ताव या आज्ञा इस प्रकार की है जिससे जनता में अथवा विधितः नियुक्त (lawfully employed) किसी वर्ग या व्यक्तिसमूह में विघ्न, उद्वेग अथवा क्षति (obstruction, annoyance or injury) हो सकती है अथवा होने की आशंका हो और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रस्ताव अथवा आज्ञा के अनुसार अथवा अन्तर्गत किसी भी काम को अथवा काम को जारी रखने को निषिद्ध कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन पारित प्रत्येक आज्ञा की प्रति सम्बद्ध लेखों सहित राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार को भेजी जायगी।

राज्य सरकार के आपातिक अधिकार।

३०—(१) यदि राज्य सरकार की राय में कोई आपात (emergency) वर्तमान हो तो राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि कोई भी निर्माण कार्य अथवा काम, जिसे मंडल इस अधिनियम के अधीन करने के लिये अधिकृत हो और जिसका निष्पादन अथवा करना राज्य सरकार की राय में सार्वजनिक बचाव और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो, तत्काल निष्पन्न हो अथवा किया जाय तथा उक्त निर्माण कार्य अथवा काम के निष्पादन अथवा करने का व्यय मंडल की निधि से दिया जाय।

(२) यदि ऐसा व्यय जिसके भुगतान की आज्ञा उपधारा (१) के अधीन दी गयी हो, तत्काल न अदा किया जाय तो राज्य सरकार मंडल की निधि की अभिरक्षा करने वाले व्यक्तियों को आज्ञा दे सकती है कि व्यय अथवा उसका वह अंश जो यथासमय संभव हो निधि से ऐसे अन्य सभी परिव्ययों की अपेक्षा प्राथमिकता से अदा किया जाय, जो उस पर भारित हों।

(३) उपधारा (१) या (२) के अधीन पारित प्रत्येक आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को भेजेगी।

मंडल द्वारा निवेदन पत्र (representation)

३१—(१) यदि राज्य सरकार ने धारा २९ अथवा ३० के अधीन आज्ञा दी हो, तो मंडल उक्त आज्ञा की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर राज्य सरकार के समक्ष ऐसा निवेदन-पत्र (representation) प्रस्तुत कर सकता है, जिसे वह उचित समझे और तत्पश्चात् राज्य सरकार या तो आज्ञा को पुष्ट अथवा परिष्कृत करेगी या रद्द (confirm, modify or rescind) कर देगी। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा पारित आज्ञा परिनिष्ठित होगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन पारित प्रत्येक आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को भेजेगी।

राज्य सरकार का अधिक्रांत करने का अधिकार।

३२—(१) यदि राज्य सरकार की राय में मंडल इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन आरोपित कर्त्तव्य करने में अक्षम (incompetent) हो गया है अथवा अविरत रूप से विचलित हो रहा है (persistently making default) अथवा अपने अधिकारों का अतिक्रमण अथवा दुरुपयोग कर रहा है तो राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, मंडल को विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिये अधिक्रांत (supersede) कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित करने से पहले राज्य सरकार मंडल से इस बात का कारण बताने का उपयुक्त अवसर देगी कि मंडल क्यों न अधिक्रांत किया जाय और मंडल द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन मंडल अधिक्रांत हो जाय तो निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:—

(क) मंडल के सभी सदस्य, सदस्य की हैसियत से अपना पद अधिक्रमण के दिनांक से रिक्त कर देंगे ;

(ख) वे सभी अधिकार और कर्त्तव्य जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा द्वारा, मंडल द्वारा अथवा मंडल की ओर से प्रयुक्त अथवा कार्यान्वित होते हों, अधिक्रांत रहने के काल में उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अथवा कार्यान्वित होंगे, जिसे अथवा जिन्हें राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् निर्णीत करें,

(ग) मंडल में निहित सभी सम्पत्ति अधिक्रांत रहने के काल में राज्य सरकार में निहित रहेगी।

(३) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अधिक्रांत रहने के काल की समाप्ति पर, केंद्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार :

(क) समय-समय पर अधिक्रांत रहने के काल को उस अवधि के लिये बढ़ा सकती है जिसे वह उचित समझे, अथवा

(ख) धारा ४ में व्यवस्थित रीति से मंडल को संगठित कर सकती है।

(४) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को भेजेगी।

विवाद

३३—यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी और मंडल के बीच कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाय जिसके सुलझाने की व्यवस्था इस अधिनियम में अन्यथा नहीं की गई है तो वह विषय राज्य सरकार के पास अभिदिष्ट किया जायगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसा विवाद मंडल और कैन्टूनमेंट बोर्ड के बीच उत्पन्न हो तो राज्य सरकार निर्णय देने से पूर्व केंद्रीय सरकार से परामर्श कर लेगी।

प्रवेश का अधिकार

३४—जब इस अधिनियम के अधीन मंडल द्वारा अधिकारों के प्रयोग अथवा कर्त्तव्यों के पालन के प्रारम्भिक अथवा आनुषंगिक रूप से कोई मापन, परीक्षण अथवा गवेषण (survey or examination or investigation) करना अथवा किसी निर्माण कार्य को करना आवश्यक हो तो मंडल का सामान्यतः अथवा विशिष्टतः अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भूमि अथवा

गृहादि में, भूमि अथवा गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी को ऐसा करने के अपने विचार की उचित सूचना देकर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे निर्माण कार्य को कार्यान्वित करने के लिये अथवा मापन, परीक्षण अथवा गवेषण के प्रयोजन से प्रवेश कर सकता है और ऐसी भूमि अथवा गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी की लिखित अनुमति से किसी भी समय प्रवेश कर सकता है।

अधिकारों का सौंपना।

३५—प्रस्ताव में निर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अधीन यदि कोई हों, मंडल प्रस्ताव द्वारा अपने अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक को इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकार और कर्त्तव्य मंडल के दैनिक प्रशासन के सुदक्ष निर्वाह के हेतु जिन्हें वह, आवश्यक समझे, सौंप (delegate) सकता है।

मंडल के लिये भूमि का अनिवार्य रूप से उपार्जन।

३६—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये मंडल द्वारा अपेक्षित कोई भी भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक समझी जायगी और उक्त भूमि मंडल द्वारा इस प्रकार उपार्जित कर ली जायगी मानो कि लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ (ऐक्ट १, १८९४) के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त हों और मंडल उक्त ऐक्ट की धारा ३ के खंड (ई) के अधीन कम्पनी हो।

जायदाद व हैसियत कर से छूट।

३७—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के उपबन्धों का इस नगर के संबंध में उसी प्रकार अर्थ लगाया जायगा और उनका ऐसा प्रभाव होगा मानो यह नगर म्युनिसिपैलिटी हो और मंडल (बोर्ड) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० के अधीन बना हुआ बोर्ड (Board) हो।

मंडल के सदस्य, अधिकारी और सेवक, जन-सेवक (public servants) समझे जायें। ऐक्ट ४५, १८६०

३८—मंडल के सभी सदस्य, अधिकारी तथा सेवक चाहे वे मंडल द्वारा नियुक्ति हों अथवा राज्य सरकार द्वारा, जब वे इस अधिनियम के प्रयोजनों के अनुसार कार्य कर रहे हों या कार्य करते हुये समझे जाते हों, तो वे इंडियन पैनल कोड की धारा २१ के प्रयोजनों के निमित्त पब्लिक सरवेंट (जन-सेवक) समझे जायेंगे।

अभियोजन की प्रक्रिया।

३९—यदि अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था न हो कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन किसी भी अपराध की अपेक्षा न करेगा (shall not take cognizance) जब तक कि मंडल अथवा उसके द्वारा इस सबंध में अधिकृत कोई भी व्यक्ति अभियोग (complaint) प्रस्तुत न करे।

विधिक कार्यवाहियों पर रोक।

४०—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये समझे गये किसी भी कार्य के संबंध में मंडल के किसी भी अधिकारी अथवा सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद अथवा विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

मंडल का विघटन तथा उसके धन (assets) अथवा दायित्व का किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को संक्रमित होना।

४१—(१) जब नगर निर्मित तथा विकसित हो जाय अथवा इस सीमा तक निर्मित और विकसित हो जाय, जिससे कि राज्य सरकार की राय में मंडल का जारी रहना अनावश्यक हो जाय तो राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के परामर्श से, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, प्रख्यापित कर सकती है कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से मंडल विघटित हो जायगा और मंडल तदनुसार विघटित समझा जायगा।

(२) उक्त दिनांक पर तथा उससे :—

(क) मंडल के पास सभी सम्पत्तियां, निधियां एवं देय धनराशियां तथा कार्यक्षेत्र में स्थित सभी सम्पत्तियां, जो उक्त दिनांक से तत्काल पूर्व मंडल के पास में थीं अथवा उसके द्वारा वसूल की जा सकती थीं ऐसे स्थानीय प्राधिकारी में निहित होंगी तथा उसके द्वारा वसूल करने योग्य होंगी जिसे राज्य सरकार समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन संगठित करे;

(ख) उक्त दिनांक से तत्काल पूर्व मंडल के विरुद्ध प्रयोजनीय (enforceable) सभी दायित्व (liabilities) उक्त स्थानीय प्राधिकारी के विरुद्ध प्रयोजनीय होंगे;

(ग) मंडल द्वारा आरब्ध किन्तु अपूर्ण रूप से निष्पन्न किसी निर्माण कार्य के समापन (completion) के प्रयोजन के लिए तथा खंड (क) में अभिदिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देय धनराशियों को उगाहने के लिये इस अधिनियम के अधीन मंडल के कृत्य उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये जायंगे ;

(घ) उक्त स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्राप्त तथा व्ययित (Expended) सभी धनराशियों का अलग हिसाब रखेगा जब तक कि तदन्तर्गत लिये गये सभी ऋणों का पुनर्भुगतान न हो जाय तथा खंड (ग) में अभिदिष्ट अन्य दायित्वों का शोधन न हो जाय।

नियम बनाने का अधिकार।

४२—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) सदस्यों का कार्यकाल, आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति तथा मंडल के किसी भी सदस्य अथवा सम्बद्ध सदस्य (associate member) को देय भत्ता, अथवा शुल्क;

(ख) धारा ९ के अधीन नियुक्त मंडल के अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा के प्रतिबन्ध और शर्तें ;

(ग) धारा १० के अधीन नियुक्त प्रशासक की सेवा के प्रतिबन्ध और शर्तें

(घ) प्रशासक के कृत्य और कर्तव्य ;

(ङ) मंडल की बैठकों का समय तथा स्थान और ऐसी बैठकों में होने वाले कार्य के निमित्त अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(च) समय जिसमें और रीति जिससे मंडल के लेखे रखे जायंगे और उनका परीक्षण (audit) किया जायगा,

(छ) वे आकार (forms) जिनमें बजट और वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायगी तथा धारा २४ और २६ के अधीन राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार को भेजी जायगी;

(ज) इस अधिनियम के अधीन सूचनाओं (नोटिसों) और आज्ञाओं की तामीली, तथा

(झ) अन्य विषय जिन्हें नियत करना है और जो नियत किये जायं।

(३) इस धारा के अधीन बने सभी नियम सरकारी गजट में प्रकाशित होंगे।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी भी नियम में व्यवस्था की जा सकती है कि उसका उल्लंघन अर्थदंड द्वारा दंडनीय होगा जो ५०० रुपये तक हो सकता है।

अपवाद

४३—एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन मंडल के संगठन से पूर्व किसी भी समय केन्द्रीय सरकार द्वारा संगठित हस्तिनापुर नगर विकास मंडल नामक संस्था द्वारा, नगर के निर्माण और विकास के प्रयोजनार्थ की गयी सब बातें तथा किये गये सभी कार्य, अथवा की गयी समझी जाने वाली सभी बातें अथवा कार्य उक्त संस्था के संगठन में किसी दोष अथवा अवैधता के रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन संगठित मंडल द्वारा वैध रूप से की गयी बातें अथवा किये गये कार्य समझे जायंगे, मानों यह अधिनियम उस समय प्रचलित था और मंडल उस समय संगठित था जब ऐसी बातें अथवा कार्य किये गये थे।

उद्देश्य और कारण

पाकिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों के जन-समूह के अत्यधिक संख्या में आ जाने के परिणामस्वरूप प्राचीन हस्तिनापुर को उनको बसाने के लिए विकसित करना आवश्यक हो गया। नये नगर के विकास की अपनी विशेष समस्याएं हैं, जो यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत म्युनिसिपैलिटी की स्थापना से ठीक से नहीं सुलझ सकतीं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने इस उपनिवेश की पर्याप्त आर्थिक सहायता की है, और कम से कम जब तक यह नगर पूर्ण विकसित न हो जाय केन्द्रीय सरकार का मंडल में प्रतिनिधित्व आवश्यक है। यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को व्यापार, व्यवसाय अथवा उद्योग का उत्थान करने का अधिकार नहीं देता है, जो इस स्थिति में आवयक है।

इसलिए ऐसा विधिक स्थानीय प्राधिकारी (statutory local body) की स्थापना आवश्यक हो गयी है।

एतदर्थ यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

हुकुम सिंह विसेन,
सहायता तथा पुनर्वास, मंत्री।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८ पर)

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया)

चल-चित्र यंत्र द्वारा प्रदर्शन के विनियमन की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में चल-चित्र यंत्र द्वारा प्रदर्शन के विनियमन की व्यवस्था की जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारंभ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा कि जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे।

परिभाषाएं

२--इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल कोई बात न होने पर--

(क) "चल-चित्र यंत्र" (cinematograph) के अन्तर्गत चलने वाले चित्रों अथवा चित्रावलियों (series of pictures) के प्रदर्शन के निमित्त यंत्र (apparatus) है;

(ख) "अध्यासी" (occupier) के अन्तर्गत प्रबन्धक अधिकर्ता (managing agent) अथवा अध्यासी के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकृत अथवा उसकी ओर से स्थान का अवधान (charge), प्रबन्ध अथवा नियंत्रण रखने वाला अन्य व्यक्ति है;

(ग) "स्वामी" के अन्तर्गत, जब यह किसी स्थान के अभिदेश में हों, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अध्यासी से किराया पाता हो अथवा उसके पाने का अधिकार रखता हो;

(घ) "स्थान" के अन्तर्गत गृह, इमारत, खेमा अथवा अन्य कोई ढांचा (structure) तथा किसी भी प्रकार का परिवहन (transport) चाहे कुछ भी हो, है;

(ङ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है; तथा

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

चल-चित्र प्रदर्शनों का लाइसेंस होगा।

३—उस स्थिति को छोड़ कर जिसको व्यवस्था इस अधिनियम में अन्यथा की गई हो, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त स्थान से भिन्न किसी स्थान पर अथवा ऐसे लाइसेंस द्वारा आरोपित शर्तों और निरोधों (conditions and restrictions) का अनुपालन किये बिना चल-चित्र यंत्र (cinematograph) द्वारा प्रदर्शन नहीं करेगा।

लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी।

४—इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने का अधिकार रखने वाला प्राधिकारी [जिसे यहां पर आगे चल कर लाइसेंस प्राधिकारी (licensing authority) कहा गया है] डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके समस्त राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिये ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये लाइसेंस प्राधिकारी का कार्य करने के लिये संविहित (constitute) कर सकती है।

लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के अधिकारों पर निरोध।

५—(१) लाइसेंस प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन तब तक लाइसेंस नहीं देगा जब तक कि वह निम्नांकित के विषय में संतुष्ट न हो कि—

(क) इस अधिनियम के अधीन बने नियम तत्वतः (substantially) अनुपालित किये गए हैं, तथा

(ख) उस स्थान में, जिसके निमित्त लाइसेंस देना है, प्रदर्शन देखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त पूर्वविधान (precautions) रखे गये हैं।

(२) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन तथा राज्य सरकार के नियंत्रण एवं सामान्य जनता के हित का पालन करते हुए लाइसेंस प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रतिबन्धों और ऐसी शर्तों पर और ऐसे निरोधों के अधीन जिन्हें वह अवधारित करें तथा ऐसा शुल्क देने पर जो नियत किया जाय, लाइसेंस दे सकता है।

(३) लाइसेंस प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस न देने के निर्णय से क्षुब्ध (aggrieved) कोई भी व्यक्ति, उस अवधि के भीतर जो नियत की जाय, राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है और राज्य सरकार इस मामले में ऐसी आज्ञा दे सकती है जिसे वह उचित समझे।

(४) किसी फिल्म अथवा फिल्म वर्ग के प्रदर्शन के विनियमन के प्रयोजन से राज्य सरकार समय समय पर सामान्यतया लाइसेंस गृहीताओं को अथवा किसी विशेष लाइसेंस गृहीता को ऐसे आदेश दे सकती है जिससे वैज्ञानिक फिल्मों, शिक्षार्थ फिल्मों (films intended for educational purposes) तथा समाचारों एवं वर्तमान घटनाओं से सम्बद्ध फिल्मों, वर्णनात्मक फिल्मों (documentary films) एवं स्वदेश में निर्मित फिल्मों (indigenous films) के प्रदर्शन को उपयुक्त अवसर प्राप्त हो तथा जब ऐसे कोई आदेश जारी किये जायं तो उनके विषय में यह समझा जायगा कि वे उन शर्तों और निरोधों (conditions and restrictions) के अतिरिक्त (additional) हैं जिनके अधीन लाइसेंस दिया गया था।

राज्य सरकार अथवा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कुछ मामलों में फिल्म का प्रदर्शन स्थगित करने का अधिकार।

१९५२ की अधिनियम संख्या ३७।

६---(१) यदि राज्य सरकार अथवा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, जैसी भी दशा हो, राय हो कि किसी फिल्म से, जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन हो रहा है, शान्ति भंग होने की संभावना है तो राज्य सरकार, समस्त उत्तर प्रदेश अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के अधीन जिले के सम्बन्ध में, आज्ञा देकर फिल्म के प्रदर्शन को स्थगित (suspend) कर सकते हैं। तत्पश्चात् ऐसे स्थगन काल में राज्य, उसके भाग अथवा संबद्ध जिले के भीतर, सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, १९५२ के अधीन दिये गये सर्टीफिकेट के होते हुए भी, फिल्म प्रदर्शित नहीं की जायगी।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन कोई आज्ञा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार से भिन्न किसी अन्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दी जाय तो उसकी एक प्रति तत्सम्बन्धी कारणों के विवरण सहित उसके द्वारा राज्य सरकार को तुरन्त भेजी जायगी जो उस आज्ञा को पुष्ट अथवा उत्सर्जित (affirm or discharge) कर सकती है।

(३) इस धारा के अधीन दी गयी स्थगन की आज्ञा, उसके दिनांक से दो मास तक प्रचलित रहेगी, किन्तु यदि राज्य सरकार की राय में उसका जारी रहना आवश्यक हो तो राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि स्थगन आगे ऐसी अवधि तक, जिसे वह उचित समझे बढ़ा दिया जायगा।

लाइसेंस स्थगित करने, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार।

७---(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी निम्नलिखित के आधार पर किसी भी समय धारा ५ के अधीन दिया गया लाइसेंस स्थगित कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं अथवा वापस ले सकते हैं (may suspend, cancel or revoke)--

(क) लाइसेंस छल से अथवा ग़लत बात बताकर (by fraud or misrepresentation) प्राप्त किया गया था; अथवा

(ख) लाइसेंस गृहीता, इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियमों के उपबन्धों के, लाइसेंस में उल्लिखित किन्हीं शर्तों अथवा निरोधों के, अथवा धारा ५ की उपधारा (४) के अधीन प्रचारित किसी भी आदेश के उल्लंघन का दोषी है- अथवा

(ग) लाइसेंस प्राप्त स्थान की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के हो जाने के कारण लाइसेंस जारी रहना शोभनीयता अथवा नैतिकता के लिए अहितकर (prejudicial to decency or morality) समझा जाता है; अथवा

(घ) लाइसेंस गृहीता धारा ८ के अधीन किसी अपराध का दोषी सिद्ध हो गया है।

(२) जब राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी की राय हो कि धारा ५ के अधीन दिया हुआ लाइसेंस स्थगित अथवा निरस्त कर देना चाहिये अथवा वापस ले लेना चाहिए तो वह यथाशीघ्र लाइसेंस-गृहीता को वह आधार बतलायेंगे जिनके अधीन कार्यवाही करने का प्रस्ताव है तथा उसे उसके विरुद्ध निवेदन-पत्र (representation) प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करेंगे।

(३) यदि निवेदन-पत्र पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी, जैसी भी दशा हो, संतुष्ट हो कि लाइसेंस स्थगित, निरस्त अथवा वापस होना चाहिये तो वह तदनुसार आज्ञा देगी और उसे तत्सम्बन्धी लिखित आधारों के साथ लाइसेंस गृहीता को बतलायेगी।

(४) यदि उपधारा (३) के अधीन लाइसेंस स्थगित या निरस्त करने अथवा वापस लेने की आज्ञा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दी गई हो, तो उक्त आज्ञा द्वारा क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति आज्ञा प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है, जो ऐसी आज्ञा दे सकती है, जिसे वह उचित समझे।

(५) राज्य सरकार की आज्ञा अन्तिम (final) होगी।

अधिनियम के उल्लंघन के हेतु शास्तियां।

८—यदि किसी चल-चित्र यंत्र का स्वामी अथवा अवधायक (incharge) व्यक्ति उसे इस प्रकार प्रयुक्त करता है अथवा प्रयुक्त होने देता है, अथवा यदि किसी स्थान का स्वामी अथवा अध्यासी उस स्थान को इस प्रकार प्रयुक्त होने देता है जिससे अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों का, तथा उन शर्तों और निरोधों का जिन पर अथवा जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया हो, उल्लंघन होता हो तो वह अर्थ दंड द्वारा दंडित हो सकेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, तथा अविरत अपराध (continuing offence) की दशा में वह और अधिक अर्थदण्ड द्वारा दंडित हो सकेगा जो प्रत्येक दिन के लिए, जब तक अपराध होता रहे, पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

कम्पनियों द्वारा अपराध।

९—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो प्रत्येक वह व्यक्ति जो अपराध होने के समय कम्पनी का अवधायक (incharge) तथा कम्पनी के कार्य के संचालनार्थ कम्पनी के प्रति उत्तरदायी रहा हो तथा कम्पनी भी अपराध के दोषी समझे जायंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह तदनुसार दंडनीय होंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यह प्रमाणित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ अथवा उसने ऐसे अपराध के प्रतिरोध के लिये पर्याप्त श्रम किया है (exercised all due diligence) दंडनीय न होगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई कम्पनी इस अधिनियम के अधीन अपराध करे और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति अथवा उपेक्षा (consent or connivance) से अथवा किसी ऐसे अनवधानवश (neglect) हुआ है जो उस पर आरोप्य हो तो उक्त डाइरेक्टर, मैनेजर, या सेक्रेटरी या अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा वह तदनुसार दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) कम्पनी का तात्पर्य किसी निगम निकाय (body corporate) से है तथा इसके अन्तर्गत व्यवसाय संघ (firm) अथवा व्यक्तियों की अन्य संस्था (association) है; तथा

(ख) व्यवसाय संघ के सम्बन्ध में 'डाइरेक्टर' का तात्पर्य व्यवसाय संघ के भागीदार (partner) से है ।

विमोचन का अधिकार ।

१०—राज्य सरकार, सामान्य जनता अथवा उसके किसी वर्ग के हित में, उन शर्तों और निरोधों के अधीन जिन्हें वह आरोपित करे, किसी चलचित्र यंत्र द्वारा प्रदर्शन को अथवा प्रदर्शनों के वर्ग को इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों के किसी उपबन्ध से लिखित आज्ञा द्वारा तथा उसके लिए कारण बतलाते हुए विमुक्त (exempt) कर सकती है ।

इस अधिनियम के अधीन किये गए कार्यों का संरक्षण ।

११—(१) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियमों के अधीन दी गई आज्ञा अथवा दी गई समझी गई आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी भी कार्य के विषय में कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or legal proceedings) नहीं हो सकेगी ।

(२) राज्य सरकार के विरुद्ध, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य के कारण उत्पन्न क्षति (damage) अथवा सम्भाव्य (likely) क्षति के सम्बन्ध में कोई वाद अथवा विधिक कार्यवाही न हो सकेगी ।

निरसन । १९१८ की अधिनियम संख्या २ ।

१२—(१) सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, १९१८, जहां तक इसका सम्बन्ध चल-चित्र यंत्र की फिल्मों के प्रदर्शन की स्वीकृति से भिन्न विषयों से है, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश में जहां तक इसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, निरस्त (repeal) किया जाता है ।

१९१८ की अधिनियम संख्या २ ।

(२) सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, १९१८ के अधीन दी गई कोई आज्ञा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित हो, प्रचलित रहेगी और इस अधिनियम के अधीन दी गई आज्ञा समझी जायगी; और ऐसी किसी आज्ञा के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, दिये गये लाइसेंस, आरोपित शर्तें या निरोध (conditions or restrictions) तथा प्रचारित आदेश जो उक्त प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित हो, यथावत् प्रचलित रहेंगे, और इस अधिनियम के अनुसार की गई, दिये गय, आरोपित अथवा प्रचारित समझे जायंगे ।

नियम बनाने का अधिकार ।

१३—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकती है ।

(२) पूर्वगामी अधिकार की सामान्यतया को बाधित न करते हुए इन नियमों में विशेषतः निम्नलिखित के निमित्त व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) उन स्थानों की स्थिति तथा उनके विनियमन जहां तथा वे शर्तें जिनके अधीन चल-चित्र-प्रदर्शन दिखाये जायंगे;

(ख) स्थानों के तथा चल-चित्र प्रदर्शनों के लिए लाइसेंसों के प्रदान तथा नवीकरण (renewal) के लिए आदेय शुल्क (fees to be levied);

(ग) स्थानों, विद्युत तथा अन्य उपकरणों (appliances) एवं प्रतिष्ठानों (installations) के निरीक्षण शुल्क;

(घ) प्रतिबन्ध, शर्तें तथा निरोध जिनके अधीन लाइसेंस दिये जायं;

(ङ) विद्युत उपकरणों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण;

(च) अवधि और शर्तें (conditions) जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

उद्देश्य और कारण

१९१८ की अधिनियम संख्या २।

१९५२ की अधिनियम संख्या ३७।

सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, १९१८ में (क) जनता के सामने प्रदर्शन के लिये उपयुक्त फिल्मों के प्रमाणीकरण (certification) और (ख) सिनेमा के विनियम (regulation) के, जिसके अन्तर्गत उन्हें लाइसेंस देना भी है, उपबन्ध थे। किन्तु संविधान में पहली मद संघ सूची के अन्तर्गत है और दूसरी मद राज्य सूची के। केन्द्रीय और राज्य सरकारों से संबद्ध उपबन्धों को स्पष्ट रूप से पृथक करना आवश्यक हो जाने के कारण संघ सरकार ने सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, १९५२ के रूप में पुराने ऐक्ट के उपबन्धों को पुनः विधायित (re-enacted) किया और इस प्रकार पूर्वोक्त दो मदों से सम्बन्द्ध उपबन्धों को पृथक कर दिया गया। उक्त ऐक्ट का भाग ३ सिनेमा के विनियमन के सम्बन्ध में है, जिसके अन्तर्गत उन्हें लाइसेंस देना भी है, और संघ सरकार द्वारा सीधे प्रशासित भाग (ग) के राज्यों पर प्रवृत्त होता है।

२--अतएव हमारा उद्देश्य सिनेमा के विनियमन से, जिसके अन्तर्गत उन्हें लाइसेंस देना भी है, सम्बद्ध राज विधि (state law) बनाने का है। यह विषय अब राज्यों के विधायक क्षेत्र में है। कुछ दशाओं में लाइसेंस वापस लेने तथा उन्हें स्थगित आदि करने से सम्बद्ध खंड ७, और खंड ९ का संयोजन तथा खंड १३ में नियम बनाने के अधिकारों में कुछ संयोजनों को छोड़कर, इस विधेयक के उपबन्ध मुख्यतया केन्द्रीय ऐक्ट ३७, १९५२ के भाग ३ पर आधारित हैं।

३--विधेयक के अधिनियम बन जाने और उसके प्रचलित हो जाने पर, १९१८ का ऐक्ट, जो सिनेमा के विनियमन के सम्बन्ध में अब भी इस राज्य में प्रवृत्त है, स्वतः निरस्त (repeal) हो जायगा।

गोविन्द बल्लभ पंत,
मुख्य मंत्री।

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८ पर)

यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया।)

यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने का — यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९।

विधेयक

यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ को यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करना आवश्यक है, — यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९।

इसलिये भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम १९५४ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : — यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९, की धारा ९ का संशोधन।

"9. There shall be general election of members of the Board before the expiry of their term or extended term, as the case may be, under section 14, on such date or dates as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in that behalf".

General Elections

३—मूल अधिनियम की धारा १४ में : — यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १४ का संशोधन।

(क) निम्नलिखित प्रथम प्रतिबंधात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय :

"Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette, extend, from time to time, the term of the Chairman and all members of the Board so however that the total extension does not in the aggregate exceed two years;"

और

(ख) वर्तमान प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड (Proviso) को द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड समझा जाय और शब्द "Provided" तथा शब्द "that" के बीच में शब्द "aso" रख दिया जाय।

विगत सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित सदस्यों तथा चेयरमैन का कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

४—मूल अधिनियम की धारा ६ तथा १४ में किसी बात के होते हुये भी :

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व होने वाले सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित बोर्ड के सदस्यों, तथा

(ख) उक्त सामान्य निर्वाचन के परिणामस्वरूप ऐसे सदस्यों द्वारा निर्वाचित चेयरमैन का कार्यकाल पांच वर्ष होगा और समझा जायगा।

कार्यों और कार्यवाहियों का वैधीकरण।

५—संदेहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम की धारा १४ में, जिस रूप में वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित किये जाने से पूर्व थी, किसी बात के होते हुए भी, धारा ४ में अभिदिष्ट सदस्यों तथा चेयरमैन से निर्मित बोर्ड अथवा तत्पश्चात् किसी आकस्मिक रिक्ति में चुने गये किसी सदस्य या चेयरमैन, अथवा उक्त बोर्ड के आदेशानुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किये गये सभी कार्यों पर, जिनके अन्तर्गत दी गई आज्ञायें, सम्पादित व्यवहार (action) अथवा कार्यवाहियां, प्रचलित आदेश अथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र है, केवल इसी आधार पर आक्षेप नहीं किया जायेगा कि उक्त सदस्यों अथवा चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो गया होता यदि धारा ४ न होती, तथा ऐसे सब कार्य एतद्द्वारा वैध (lawful) किये और प्रख्यापित किये जाते हैं एवं ऐसे कार्यों को उनके संपन्न होने के समय पर और समय से पुष्ट किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९, १ अक्तूबर, १९४६ से प्रचलित हुआ था। गत आठ वर्षों की इसकी गतिविधि को देखते हुये इसमें विशेषत: बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के संगठन के सम्बन्ध में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। बोर्ड ने भी इस ऐक्ट में अपेक्षित संशोधनों के सम्बन्ध में सुझाव देने के निमित्त एक उपसमिति नियुक्त की है। इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों की पुनर्संगठन समिति ने भी इसे संशोधित करने के लिये कुछ सिफारिशें की है।

उक्त ऐक्ट में इस प्रस्तावित संशोधन के विचार से यह आवश्यक समझा गया है कि बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के सामान्य निर्वाचन स्थगित कर दिये जायं। इसी प्रयोजन से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
स्वास्थ्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२९८ एल०ए०—१९५५—२००।